लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 3 : विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

आबकारी विभाग में विभागीय प्रशासन निम्नानुसार है –

1. जनपद स्तर पर

विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों/नियमावलियों के प्राविधानानुसार जनपद में जिलाधिकारी ही आबकारी प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है जिसके सहयोगार्थ जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त रहते हैं और जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन ही अपराध निरोधक क्षेत्रों, आसवनियों, औषधि निर्माणशालाओं, ब्रान्डेड वेयर हाउसों, चीनी मिलों व अन्य स्थानों पर प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में सहायतार्थ आवश्यकतानुसार आबकारी लिपिक, प्रधान आबकारी सिपाही व आबकारी सिपाही नियुक्त किये जाते हैं।

प्रत्येक आबकारी अधिकारी अपने–अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, प्रवर्तित अधिनियमों/नियमों/उप नियमो के प्राविधानानुसार एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेशों/अनुपालन, क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्षेत्रों की विधि अनुज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व, मादक पदार्थों के उपभोग एवं इनकी राजस्व सुरक्षा हेतु प्रवर्तन कार्यवाहियों के दायित्वों का निर्वहन करता है।

2. मंडल स्तर पर

आबकारी विभाग में वर्तमान में मण्डल स्तर पर केवल सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन दल) के पद कुमाऊ मण्डल, नैनीताल एवं गढ़वाल मण्डल देहरादून स्वीकृत है। इन सहायक आबकारी आयुक्तों की सहायतार्थ आबकारी निरीक्षक, लिपिक एवं प्रधान आबकारी सिपाही/आबकारी सिपाही के पद उपलब्ध है।

ये सहायक आबकारी आयुक्त अपने सहयोगी स्टाफ की सहायता से अपने–अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रावर्तित अधिनियमों/नियमों/उप नियमों व विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार केवल जनपदीय स्टाफ की सहायता करते हैं वरन् स्वतंत्र रूप से भी अभिसूचनाओं को प्राप्त कर स्वयं प्रवर्तन कार्यवाहियां, चैक पोस्टों पर चैकिंग व जांच आदि का कार्य करते हैं और ये अपने द्वारा निष्पादित कार्यो/प्रगति से आबकारी मुख्यालय में उप आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 के अधीन रहते हुए कार्य सम्पादित करते हैं मुख्यालय में आयुक्त ई0आई0बी0 इनके लिए नियंत्रण अधिकारी होते हैं।

3. मुख्यालय स्तर पर

आबकारी विभाग में सर्वोच्च अधिकारी, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आबकारी आयुक्त के अधीन रहते हुए आबकारी मुख्यालय में उनके सहयोगार्थ निम्नानुसार अधिकारी नियुक्त रहते हैं :–

1. अपर आयुक्त – दो
2. संयुक्त आयुक्त – दो
3. उपायुक्त – चार
4. सहायक आयुक्त – चार
5. प्राविधिक अधिकारी – एक
6. वित्त अधिकारी – एक
7. आबकारी निरीक्षक – चार
8. इनके अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के कर्मचारी।

मुख्यालय में कार्य का सम्पादन अनुभाग–वार होता है जैसे कार्मिक/अधिष्ठान, शीरा/अल्कोहल (उत्पादन/वितरण), प्राविधिक, लाईसेंसिंग, विधि, ई0आई0बी0 (Excise Intelligence Beaurea), प्रवर्तन व जांच व सांख्यिकी। इनके प्रभारी उप आबकारी आयुक्त होते हैं जो संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त के अधीन रहते हुए कार्य सम्पादित करते हैं। अनुभागवार कार्यो का विवरण एतद्विषयक तैयार किये Manual – 1 (Organisation of the Excise Department) में दिये गये विवरण से दिया गया है।

विभागाध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त विभाग के समस्त कार्यकलापों, कतिपय अनुज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु अनुज्ञप्ति अधिकारी, अपीलीय अधिकारी, समूह ग के विभ्झागीय कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, दण्डन अधिकारी विभागीय नीतियों को तैयार करवाना, उनके क्रियान्वयन करवाने और प्रदेश में आबकारी प्रशासन के सर्वोच्च अधिकीर के रूप में कार्य करते हैं और शासन के अधीन रहते हुए निर्णय लेते हैं। शीरा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं और शीरा नीति के बनाने में शासन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

इसी प्रकार समूह घ के कार्मिकों के लिए शासित करने वाली सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत अपर आबकारी आयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक एवं दण्डन प्राधिकारी है और पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

विभाग द्वारा प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं –

1 <u>आबकारी अधिनियम – 1910 (यथा संशोधित तथा यथा अनुकूलित एवं उपांतरित)</u>

1. उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम मादक द्रव्यों व मादक औषधियों के आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय व कब्जे के लिये उपबंध करता है। लिकर शब्द का अर्थ धारा–3 (11) में मादक द्रव्य के अभिप्राय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें वाईन की स्पिरिट्स, वाईन, ताड़ी पचवई, बियर तथा अल्कोहॉल मिश्रित या अन्तर्निहित वे सभी द्रव्य तथा साथ ही वे पदार्थ सम्मलित हैं जिन्हें राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्य हेतु अधिसूचना द्वारा लिकर घोषित करे।

धारा–3 (12) अधिनियम द्वारा मादक औषधियों में गांजा, चरस व भांग सम्मिलित हैं। एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम 1985 के 14.11.85 से प्रवृत्त होने से गांजा व चरस से संबंधित उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रावधान प्रभावहीन हो गये हैं क्योंकि उनसे सम्बन्धित एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम के प्रावधान उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षा अधिक कठोर हैं। धारा 4

के अधीन, आबकारी के उद्देश्य से सभी लिकर या देशी लिकर हैं या विदेशी लिकर हैं जिनको सरकारी अधिसूचना संख्या 8272 E/XXIII -656-79 दि0 20 दिसम्बर 1980 में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम, लिकर व मादक औषधियों के कब्जे, आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन व विक्रय के निषेध हेतु भी उपबंध करता है। राज्य में निषेध हेतु कोई भिन्न अधिनियम नही है।

2. <u>मादकों का आयात, निर्यात व परिवहन</u> :–

धारा 12 उपबंधित करती है कि कोई मादक तभी आयातित किया जा सकता है जबकि राज्य सरकार इसके आयात की अनुमति दे, राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिरोपित शर्तें पूरी कर ली जायें तथा कर (यदि कोई हो) का भुगतान दिया जाये या भुगतान हेतु अनुबंध निष्पादित कर लिया जाये। धारा 15 के अधीन, किसी भी मादक का उस भाग से अधिक, जो कि राज्य सरकार निर्धारित करे, आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जायेगा। सिवाय एक पास या परमिट के अधीन जो कि धारा 16 के अधीन कलक्टर द्वारा जारी किया जायेगा।

3. <u>मादकों का उत्पादन आदि</u> :–

धारा 17 यह उपबन्धित करती है कि सिवाय कलक्टर द्वारा प्रदान लाईसेन्स के किसी मादक का उत्पादन भांग के पौधे की खेती, मद्य की बोतल भराई, किसी मादक के उत्पादन हेतु उपकरण, औजार सामग्री के उपयोग या कब्जे की अनुमति नहीं होगी। आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत लाईसेन्स के अधीन के अतिरिक्त किसी डिस्टिलरी, ब्रुअरी या कारखाने का निर्माण या कार्य निषिद्ध है।

धारा 18 उपबन्धित करती है कि जब तक कि कर का भुगतान न किया या इसके भुगतान हेतु बौंड निष्पादित न किया जाये किसी मादक को डिस्टिलरी, ब्रुअरी या कारखाने से हटाया नहीं जा सकता है।

4. <u>मादक का कब्जा</u> :–

धारा 20 अनुसार, कलक्टर द्वारा स्वीकृत परमिट के अधीन के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक किसी मादक को कब्जे में रखना निषिद्ध है। इस धारा के अधीन, मादकों के निजी कब्जे हेतु सरकार द्वारा सीमा निर्धारित की गयी है। यह सीमायें सरकारी अधिसूचना नं0 44331E/XIII-332-78 दि0 04मई 1978 (आबकारी नियमावली – वौल्यूम–1, भाग–III) में दी गयी हैं।

5. <u>मादकों का विक्रय</u> :–

धारा 21 में यह अपेक्षित है कि कलक्टर या आबकारी आयुक्त, यथा स्थिति, द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना किसी मादक का विक्रय नहीं किया जा सकता। धारा 22 के अधीन, अनुज्ञापित विक्रेता तथा उनके कर्मचारियों के लिये 21 वर्ष से कम किसी व्यक्ति को किसी मद्य या मादक बेचने की मनाही है ।

अधिनियम के अधीन, बिना किसी पास या परमिट के, निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक का कब्जा, परिवहन, आयात व निर्यात एक अपराध है। जहां जनता द्वारा मद्य का सेवन किया जा रहा हो वहां 21 वर्ष से कम व्यक्ति या महिलाओं को रोजगार, अधिनियम की धारा 23 के अधीन निषिद्ध है ।

6. लाइसेन्स का रद्द करना व इसका निलंबन :–

अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स को अनुज्ञापन प्राधिकारी, अर्थात कलक्टर, आबकारी आयुक्त यथा स्थिति द्वारा धारा 34 के अधीन रद्द या निलंबित किया जा सकता है :–

(a) यदि अनुज्ञापी द्वारा शुल्क या कर का भुगतान नहीं किया गया है ।

(b) यदि अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के निबंधन व शर्तों को भंग किया गया है ।

(c) यदि अनुज्ञापी इस अधिनियम, एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम इत्यादि के अधीन किसी अपराध से संबंधित है ।

(d) यदि किसी अनन्य विशेषाधिकार का प्राप्तिकर्ता रद्द करने का निवेदन करता है ।

(e) यदि अनुज्ञप्ति का निबंधन रद्द करने या निलंबन करना अनुबंधित करता है।

अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलंबित करने हेतु इस धारा के अधीन कोई प्रतिपूर्ति का प्रतिदाय नहीं दिया जायेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आधारों हेतु अनुज्ञप्ति को 15 दिन की सूचना या बिना सूचना पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है ।

7. **Framing the Rules.**

अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शासन को तथा 41 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को नियम बनाने के अधिकार प्रदत्त हैं।

8. अपराध, दण्ड, शास्तियां

अधिनियम की धारा 60 से 69 तक विभिन्न अपराधों एवं उनके दण्डों को निर्धारित किया गया है। धारा 66 के अन्तर्गत किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा अपनी निर्धारित ड्यूटी को करने से इन्कार करने अथवा पीछे हटने (with drawling from duty) के लिए 500/– रूपये का अर्थदण्ड या 3 माह की सजा का प्रावधान है। निरन्तर अपराध करने वालो के लिए Enhanced Punishment के भी प्रावधान है।

9. अधिकार/दायित्व

(अ) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत शास, आबकारी आयुक्त को नियुक्त करता है जो राज्य के आबकारी प्रशासन के लिए मुख्य नियंत्रक सर्वोच्च अधिकारी है। जनपद में आबकारी प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रक अधिकारी है जो कि आबकारी आयुक्त के अधीन/नियंत्रण में होता है।

शासन अपनी समस्त अथवा जैसा भी उचित समझे अपनी शक्तियों का प्रतिनधित्व (Delegation of Powers) (केवल धारा 40 नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) कर सकता है। शासन को यह अधिकार है कि आबकारी प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी/व्यक्ति को अधिकारों/शक्तियों को कम या समाप्त कर सकता है।

(ब) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के आदेशों के विपरीत आबकारी आयुक्त को एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों के विपरीत शासन को किसी भी

व्यक्ति/अनुज्ञापी को अपील करने का अधिकार प्रदत्त है।

(स) <u>निरीक्षण के अधिकार</u> आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों (आबकारी निरीक्षकों से अनिम्न नहीं), पुलिस विभाग के उप अधीक्षक व उस से ऊपर के अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को किसी भी अनुज्ञापित परिसरों जहां मादकों का निर्माण अथवा बिक्री की जाती है, को धारा 48 के अन्तर्गत निरीक्षण का अधिकार है।

अन्य अधिकारों यथा तलाशी/गिरफ्तारी आदि के अधिकारों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में मैनुअल 2 में विस्तार से दिया गया है।

(द) <u>प्रशमन के अधिकार/दायित्व</u>

- अधिनियम की धारा–74 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, अ ाबकारी आयुक्त एवं आबकारी विभ्झाग में सहायक आबकारी आयुक्त एवं इनसे वरिष्ठ विभागीय अधिाकिरयों को अनुज्ञापियों द्वारा धारा 64 के अन्तर्गत किये अपराधों/ अनियमितताओं को प्रशमन कर समाधानित किये जाने का अधिकार प्रदत्त है।
- अधिनियम की धारा 74(1-A) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारियेां के द्वारा अधिनियम की धारा 60(1)a धारा 63 (जब कि मादक पदार्थों की मात्रा शासन द्वारा निद्रिष्ट मात्रा से अधिक न हो), धारा 60(3) को भी प्रशमन कर समाधानित किये जाने का अधिकार है, जिसकी धनराशि न्यूनतम 50/– रूपये तथा अधिकतक 300/– रूपये है।
- धारा 74(A) के अन्तर्गत अनुज्ञापी के द्वारा अनुज्ञापन, पास, परिमट की शर्तो के उल्लंघन हेतु अधिकतम 5000/– में प्रशमित करने का ऐसे अधिकारियों को अधिकार है जिन्हें शासन अधिकृत करें। यह अधिकार सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारियों को प्रदान किया गया है।

10. <u>छूट के अधिकार/दायित्व</u>

धारा 75 के अन्तर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कैमिस्ट एवं ड्रगिस्ट आदि को बोनाफाइड मेडिकेटेड आर्टिकिल्स केवल औषधालय प्रयोजनार्थ आयात, निर्माण धारण करने, बिक्री करने से आपूर्ति हेतु धारा 75 में छूट प्रदान की जा सकती है। शासन को यह भी अधिकार है कि यदि किसी औषधि के मादकों के रूप में उपभोग की शिकायत प्राप्त हो तो वे ऐसी औषधि को प्रतिबन्धित भी कर सकती है।

1. मादक पदार्थो (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1976 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)

मद्यपान की सामाजिक बुराइयों विशेषकर पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों, और कभी आर्थिक परिस्थितियों के कारण सर्वविदित है। संविधान की धारा–47 राज्य को यह अधिकार प्रदान करती है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों में मद्यपान एवं मादक वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये। इस दिशा में मद्यपान, मादक द्रव्यों से सम्बन्धित विज्ञापनों पर निषेधात्मक कदम की दिशा में यह अधिनियम 1976 से लागू किया गया है।

अधिनियम की धारा 3 में किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कम्पनी के द्वारा ऐसे विज्ञापन, दीवालों पर पोस्टर, Hoardings, सिनेमाघरों में स्लाइडो के प्रदर्शन पर जिसमें मादक वस्तुओं की बिक्री को प्रलोभित करें, करने से निषिद्ध किया गया है।

अधिनियम की धारा 5 में आबकारी निरीक्षक से अनिम्न पद के आबकारी अधिकारियों को ऐसे स्थानों में घुसने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है, जहां ऐसे अपराध होने के पर्याप्त एवं विश्वसनीय कारण उपलब्ध है और धारा 7 में ऐसे अपराधों का अन्वेषण/विवेचना करने का भी अधिकार आबकारी निरीक्षक को दिया गया है तथा धारा 10 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों को प्रशमित कर समाधानित किये जाने का अधिकार दिया गया है।

3–अफीम धूम्रपान अधिनियम 1934 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)

अफीम धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा अफीम धुम्रपान को समूल समाप्त किये जाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1934 में लागू किया गया।

अधिनियम की धारा 2 की क्लाज 2 में प्रिपेयर्ड ओपियम (Prepared Opium) के रूप में चंडू व मदक पारिभाषित है और बिना रजिस्टर्ड स्मोकर (Unregistred Smoker) के कोई व्यक्ति किसी भी मात्रा में Prepared Opium नहीं रख सकता। धारा 5 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न तो Prepared Opium ही और न ही ऐसा कोई उपकरण जो इसके धुम्रपान में प्रयोग में लाया जाए नहीं रख सकता जबतक कि वह पंजीकृत धम्रपानकर्ता न हो। धारा 6 में ऐसे किसी भी प्रिपेयर्ड ओपियम चंडू/मादक की बिक्री भी निषिद्ध की गयी है। धारा 7 के अन्तर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अफीम धम्रपान के सामान बनाने के उद्देश्य से एकत्रित हो, Opium Smoking Assembly के अन्तर्गत माने जाने का प्रावधान है और धारा 8 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी ऐसेम्बली के साथ अफीम धम्रपान करता है तो वह इस ऐसेम्बली का सदस्य माना जायेगा।

ऐसी धाराओं के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति ऐसी ऐसेम्बली के प्रत्येक सदस्य, ऐसे स्थान के स्वामी को अधिनियम की धारा 12, 13, 14, 15, 16 वं 17 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

NDPS Act 1985 की धारा 8 जिसके अन्तर्गत Prepared Opium के निर्माण, धारण, क्रय विक्रय, परिवहन आयात, निर्यात पूर्णतः निषिद्ध है तथा धारा 17 के अन्तर्गत कठोर कारावास 20 वर्ष तक तथा जुर्माना 2.00 लाख रूपये तक का प्राविधान किये गये हैं और यह दण्ड ओपियम स्मोकिंग एक्ट के दण्ड के प्रावधानों से अधिक है अतः इस निषेधात्मक कार्यकलापों के लिए NDPS Act के प्राविधान ही लागू माने जायेगें।

लेकिन NDPS Act 1985 में Prepared Opium चंडू/मदक के सम्बन्ध में ओपियम स्मोकिंग ऐसेम्बली अथवा ऐसे धुम्रपान हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के सम्बन्ध में Opium Smoking Act की धारा 4(1), 5, 7, 8, 12, 14 एवं 15 NDPS Act 1985 के प्राविधानों से अप्रभावित है। अतः इन पर ओपियम स्मोकिंग एक्ट के प्राविधान लागू होते हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने तथा अपराधों की विवेचना के अधिकार प्रदत्त हैं

4. शीरा नियंन्त्राण अधिनियम–1964 एवं नियमावली 1974 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)

राज्य में चीनी मिलों के उत्पादित शीरे के संचय ग्रेडेशन व संभरण पर जनहित में नियंत्राण की दृष्टि से उक्त अधिनियम लागू है।

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शीरे के संचय, अनुरक्षण, ग्रेडेशन, कीमत, आपूर्ति एवं निस्तारण पर नियंत्रण की दृष्टि से राज्य को परामर्श देने के लिए परामश समिति के गठन के प्रावधान हैं तथा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत शीरा नियंत्रक की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। वर्तमान में राज्य में आबकारी आयुक्त ही शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अधिनियम की धारा 5 व 6 के अंतर्गत प्रत्येक चीनी मिल के अध्यासी शीरे के लीकेज, मिलावट एवं अपमिश्रण को रोकने एवं शीरे के सुरक्षित भण्डारण के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत शीरा नियंत्रक की बिना पूर्व अनुमति से अपमिश्रित शीरे की निकासी निषि(है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत शीरे के केवल बोनापफाइड इकाइयों यथा आसवानियां, कैटल पफीड, पफाउन्ड्रीज़ आदि को ही विक्रय किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आयुक्त/शीरा नियंत्रक के किसी आदेश से शुब्ध होकर शासन में 30 दिन के भीतर अपील किये जाने का अधिकार प्रदत्त है। अधिनियम की धारा 10–ए के अंतर्गत चीनी मिलों के अध्यासियों के लिए बाध्यकारी प्रावधान है कि चीनी मिल शीरा संचय टैंकों के

अनुरक्षण, मरम्मत, निर्माण के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर पर शीरा निधि को संचय करेगी तथा शीरा नियंत्रक के निर्देशानुसार उक्त कार्यों के लिए इस निधि से धनराशि अवमुक्त की जा सकती है। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अधिनियम के प्रावधानों/शीरा नियंत्रण नियमावली में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन के लिए दण्ड के प्रावधान हैं तथा धारा 12 के अंतर्गत किसी कम्पनी या उसके प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के लिए शीरा सम्बन्धी कार्यों के लिए निष्पादन के लिए उत्तरदायी है और दोषी पाया जाता है, के लिए दण्ड का भागी होगा। धारा 16 के अंतर्गत शीरा नियंत्रक शीरा सम्बन्धी अपराधों के प्रशमित करते हुए समाधानित किये जाने का अधिकार है तथा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शीरा नियंत्रक अपनी किसी भी शक्ति को अपने अधिनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधायत्त (Delegate) कर सकते हैं तथा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत राज्य को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदत्त है। शीरा नियंत्रण नियमावली में उक्त से संबंधित नियमों को संकलित किया गया है तथा शीरा सम्बन्धी सभी आवश्यक विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं।

5. मैडीसनल एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 एवं नियमावली–1956 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित है। इसके अंतर्गत एल्कोहल, अपफीम, भांग व अन्य नारकोटिक ड्रग्स जिनके निर्माण पर अभिकर का उदग्रहण किया जाता है, के औषधीय एवं प्रसाधन विर्निमितियों के निर्माण के सम्बन्ध में लागू होता है। इस अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत बनायी जाने वाली औषधीयों/प्रसाधन सामग्रियों पर अभिकर जो एक्ट के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित अभिकर की दरों से सम्बन्धित शिड्यूल में समय–समय पर निर्धारित दरों से अभिकर की वसूली की जाती हैं। प्रदेश में आबकारी आयुक्त इस अधिनियम के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुज्ञापनों के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियुक्त हैं तथा ऐसी इकाइयों में आबकारी निरीक्षक प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हैं जो एल्कोहल, अपफीम, भांग एवं नारकोटिक्स पदार्थ युक्त औषधियों के निर्माण एवं उन पद देय अभिकर की वसूली के पश्चात् ही उनकी बिक्री को अधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर में छूट प्रदान किये जाने का शासन को अधिकार प्रदत्त है तथा धारा 5 के अंतर्गत सरकार को देय अभिकर की वसूली उदग्रहणीय है। धारा 6 के अंतर्गत कोई भी ऐसी औषधि/प्रसाधन विनिर्मितियां बिना

अभिकर की अदायगी के निर्माणशाला से बाहर नहीं निकाली जा सकती तथा ऐसे अपराधों व नियमों के उल्लंघन के लिए धारा 7 में दण्ड के प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 8 में ऐसी औषधियों एवं प्रसाधन विनिर्मितियों के जब्त किये जाने के प्रावधान हैं तथा आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम व उल्लंघनों को प्रशमित कर समाधान किये जाने के अधिकार हैं।

सम्बन्धित नियमावली में अनुज्ञापन के प्रारूप विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं जो आबकारी मैनुअल खण्ड–4 में अवलोकनीय हैं।

6. <u>स्पिरिट युक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य) नियन्त्रण अधिनियम, 1955 एवं नियमावली–1956 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)</u>: –

इस अधिनियम का उददेश्य स्पिरिट युक्त औषधीय व अन्य निर्मितियों के अन्तर्राज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में कतिपय प्रबंधों को लागू करना है। अधिनियम की धारा–2 डी में स्पिरिट युक्त निर्मितियों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है : –

स्पिरिट युक्त निर्मितियों से अभिप्रेत है –

1. अल्कोहॉल समाविष्ट कोई औषधीय निर्मिति चाहे वह स्वयं जनित हो या अन्यथाः , या
2. औषधीय पदार्थों के साथ वाईन का कोई मिश्रण या संमिश्रण, चाहे वाईन स्पिरिट के साथ पुष्ट हो अथवा नहीं ; या
3. कोई अन्य पदार्थ जिसे धारा 4 के अधीन स्पिरिट युक्त निर्मिति अधिसूचित किया गया हो । अधिनियम की धारा 3 में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्तिः–
   (ए) किसी निषेध राज्य में स्पिरिट युक्त निर्मिति का आयात नहीं करेगा ; या
   (बी) किसी निषेध राज्य में स्पिरिट युक्त निर्मितियों के आयात के उददेश्य से किसी राज्य से निर्यात नहीं करेगा या एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन या इनका विक्रय नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अनुसार ''निषेध राज्य'' वह राज्य है जिसे केन्द्र सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित कर ऐसा राज्य विनिर्दिष्ट करे जिसमें या जिसके किसी भाग में मादक द्रव्यों का सेवन विधि द्वारा सामान्य रूप निषिद्ध हो । केन्द्र सरकार ने उ0प्र0 को एक निषेध राज्य घोषित किया है तथा उत्तरांचल भी पहले के उ0प्र0 का एक भाग रहा है अतः जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, उत्तरांचल भी एक निषेध राज्य है ।

धारा–4 के अधीन, केन्द्र सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित कर धारा–2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में संदर्भित निर्मिति के अतिरिक्त अन्य किसी अल्कोहॉल समाविष्ट निर्मिति को अधिनियम के अभिप्राय के भीतर स्पिरिट युक्त निर्मिति के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी निर्मिति पर अन्तर्राज्यिक व्यापार व वाणिज्य का नियंत्रण लोकहित में आवश्यक है।

धारा–8 के अधीन राज्य सरकार, आबकारी, मद्य–निषेध, पुलिस, राजस्व या सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि यदि उनके पास अपनी जानकारी से या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से ऐसा विश्वास करने का कारण है तथा लिखित में यह लिया गया है कि कोई स्पिरिट युक्त निर्मिति, जिसके संबंध में अपराध हुआ है उस मकान इत्यादि में छुपाई गई है तो वे दिन में या रात में उस मकान, भवन, संलग्न स्थान या वाहन, जलयान, वायुयान की तलाशी ले सकता है तथा ऐसी निर्मिति या कागजात को उस अपराध के साक्ष्य के रूप में जब्त कर सकता है।

यह धारा यह भी उपबंधित करती है कि राज्य सरकार, आबकारी व मद्यनिषेध विभागों को अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराधों की जांच पड़ताल करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इन विभागों के अधिकारी संज्ञेय अपराधों की जांच पड़ताल हेतु एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

अधिनियम (देखिये धारा–8) के अधीन अपराधों की जांच पड़ताल के लिये आबकारी विभाग के अधिकारी जो आबकारी निरीक्षक से निम्न पद के न हों, प्राधिकृत हैं।

धारा–9 के अधीन, यदि अधिकारी तंग करने के लिये जांच या अभिग्रहण का अपराध करते हैं तो वे दो हज़ार रूपये तक फाईन का दण्डनीय हैं।

जानबूझ कर या दुर्भावना से झूठी सूचना देने, जिसके कारण गिरफ्तारी या तलाशी हो जाये, ऐसे व्यक्ति दो हजार रूपये फाईन या एक साल की कैद या दोनों के दण्डनीय हैं।

अधिनियम की धारा–12 के अधीन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को अधिनियम की धारा–3 के अधीन नियम बनाने के लिये प्राधिकृत कर सकती है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को अधिनियम की धारा–3 के अधीन नियम बनाने के लिये प्राधिकृत किया है, (देखें अधिसूचना सं0 एस0आर0ओ0 2469 दि0 29 जुलाई 1957)। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त अधिनियम के अधीन नियमों का निर्माण किया है जो ''उ0प्र0 स्पिरिट युक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य) नियन्त्रण नियम, 1957'' कहलाते हैं। इन नियमों के अधीन वे स्पिरिट युक्त निर्मितियां जिन को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त नहीं है उनका

प्रपत्र बी में लाईसेन्स के अधीन के अलावा उत्तर प्रदेश में आयात नहीं किया जा सकता व प्रपत्र एक में लाईसेन्स के अधीन विक्रय नहीं किया जा सकता।

कथित नियमों को उत्तरांचल में अपना लिया गया है (देखिये अनुकूलन आदेश 2002) अतः कथित नियमों के प्रावधान अब उत्तरांचल में भी लागू हैं।

उत्तरांचल आबकारी विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल आबकारी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल के अधिकारी होते हैं। इनके अतिरिक्त विभाग में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी आयुक्त/नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

विशेष आबकारी कर्मचारी

(I) - अतिरिक्त आबकारी आयुक्त

आबकारी विभाग में दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं, जिनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा/ प्रान्तीय सिविल सेवा का सदस्य है और दूसरा आबकारी विभाग का है और यह उत्तरांचल आबकारी ग्रुप–ए सेवा निमयावली 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है।

(II) - संयुक्त आबकारी आयुक्त

(क) संयुक्त आबकारी आयुक्त उत्तरांचल वर्ग 'क' की ज्येष्ठ वेतनक्रम में सेवा गठित करते हैं। संयुक्त आबकारी आयुक्त की भर्ती राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल आबकारी ग्रुप–ए सेवा निमयावली 2006 के अधीन की जाती है। संयुक्त आबकारी आयुक्त की भर्ती राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय आदेशों के अन्तर्गत की जाती है।

(ख) सरकार उतनी संख्या में संयुक्त आबकारी आयुक्तों की नियुक्ति करती है जितनी विभाग के उपयुक्त प्रशासन के लिए अपेक्षित है। वर्तमान में संयुक्त आबकारी आयुक्त केवल मुख्यालय में ही कार्यरत हैं और विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्यो के सम्पादन/निर्णयार्थ परामर्श देते हैं।

(ग) दो संयुक्त आबकारी आयुक्त आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर नियुक्त हैं। इनमें से एक आबकारी आयुक्त आबकारी सूचना ब्यूरो का प्रभारी है, दूसरा संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय है।

(III) उप आबकारी आयुक्त

उप आबकारी आयुक्त उत्तरांचल आबकारी वर्ग 'क' सेवा गठित करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा भर्ती किये जाते हैं। उत्तरांचल आबकारी ग्रुप–ए सेवा निमयावली 2006, भर्ती तथा सेवाओं की भर्ती को विनियमित करती है।

सरकार उप आबकारी आयुक्तों की उतनी संख्या में नियुक्ति करती है जितनी विभाग के समुचित प्रशासन के लिए आवश्यक है और उनके चार्जों में जिलों को वितरित करती है।

उप आबकारी आयुक्त के चार्ज में अनेक जिलों का समुदाय सम्मिलित होता है, जिसमें से एक में उसका मुख्यालय होता है।

(इन चार्जों की क्षेत्रीय अधिकारिता भाग– में दी गयी है।)

वर्तमान में इन निरोधक चार्जो में केोई उप आबकारी आयुक्त के पद स्वीकृत नहीं है। इन निरोधक चार्जों के अतिरिक्त 4 उप आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त मुख्यालय पर नियुक्त है। मुख्यालय पर उप आबकारी आयुक्त निम्नानुसार नियुक्त हैं–

1. एक उप आबकारी आयुक्त (कार्मिक तथा अधिष्ठान) जो आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी कार्यों को देखता है।
2. एक उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन/वितरण) जो शीरा तथा अल्कोहल उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी कार्य को देखता है।
3. एक उप आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिंग/विधि) जो विभागीय वादों में सम्बन्धी कार्य तथा उच्च न्यायालय के मुकदमों की पैरवी को देखता है तथा विभाग द्वारा निर्गत मादकों के उत्पादन, थोक बिक्री, फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों में व्यवस्थापन आदि से सम्बन्धित कार्यो को देखता है।
4. एक उप आबकारी आयुक्त जो आबकारी अधिसूचना ब्यूरो से संलग्न है और संयुक्त, आबकारी आयुक्त अधिसूचना ब्यूरो के अधीन कार्य करते हैं।

आबकारी कर्मचारी– आबकारी आयुक्त प्रत्येक जिलो में आबकारी निरीक्षकों, आबकारी लिपिकों, आबकारी कांस्टेबिलों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी जो स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है आबंटित करते हैं। ये कर्मचारी सीधे सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होंगे।

चार्ज के उप आबकारी आयुक्त

कर्तव्य– उप आबकारी आयुक्त अपने प्रभार में सभी शाखाओं, सिवाय उनके, जिन्हें अनुच्छेद 60 के अधीन जिला आबकारी की न्यस्त किया गया है, के अन्तर्गत विभाग के दक्ष प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और इस उद्देश्य से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करेगा। वह सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला अधिकारी से विचार–विमर्श करेगा।

उप आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ आबकारी कर्मचारियों को विस्तृत एवं विशेष निर्देश जारी करने के लिए, जहां आवश्यक हो, अधिकृत हैं और आबकारी निरीक्षकों के कार्य की प्रगति पर उनकी दैनिक डायरियों तथा रजिस्टरों के माध्यम से और उनके द्वारा दर्शित कार्य, जो किये गये हों, के स्थानीय सत्यापन द्वारा लगातार निगरानी रखेगा। इस प्रयोजन के लिए वे उतनी लाईसेंस वाली आबकारी दुकानों का स्वयं निरीक्षण करेंगे, जितना सम्भव हो और स्थानीय निवासियों तथा सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे। वे आसवनियों, बन्धित गोदामों, थोक विक्रय डिपों तथा उनमें रखे गये लेखाओं, जिला कार्यालयों तथा तहसीलों में रखे गये रजिस्टरों, विवरणियों इत्यादि तथा आबकारी लाईसेंसों को धारण करने वाले योरोपीय फर्मों के परिसर, लेखाओं तथा स्टाक का निरीक्षण करेंगे।

मासिक रिपोर्ट–उप आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त को उनकी सूचनायें प्रत्येक प्रत्येक निरीक्षक द्वारा पूर्व मास के दौरान किये गये कार्य पर प्रपत्र डी–3, में रिपोर्ट मास की 25 तारीख के पहले और स्वयं को दौरे तथा किये गये कार्यों को दर्शित करते हुए प्रपत्र डी–3ए में विवरण जिस मास से सम्बन्धित है, उसके आगामी मास की 7 तारीख के पहले, प्रस्तुत करेगा।

विवरण डी–3–बी में उप आबकारी आयुक्त को आबकारी निरीक्षकों के कार्य पर टिप्पणी तथा सामान्य मूल्यांकन करना चाहिए। उन्हें प्रत्येक निरीक्षक द्वारा किये गये दौरा, रात्रि विश्राम, दुकानों तथा गांवों के निरीक्षण, मादक वस्तुओं के उपभोग में उतार–चढ़ाव और पकड़–धकड़ के कार्य पर टिप्पणी करनी चाहिए। आबकारी प्रशासन या राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी अन्य मामले को इंगित करना चाहिए तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए सुझाव दिये जाने चाहिए।

दौरे की अवधि– उप आबकारी आयुक्त से, सामान्य नियम के अनुसार, वर्ष में 150 दिनों से अन्यून के लिए दौरे पर रहने की अपेक्षा की जाती है किन्तु आबकारी आयुक्त इस नियम को, यदि आवश्यक हो, शिथिल करने और वर्ष के विभिन्न भागों का दौरा कर व्यतीत किये दिनों के वितरण के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं।

उपरोक्त निर्धारित 150 दौरे के दिनों में से 60 दिन (या मोटे तौर पर 10 दिन प्रतिमास) अप्रैल से सितम्बर के महीनों और शेष 90 दिन (या मोटे तौर पर 15 दिन प्रतिमास) अक्टूबर से मार्च के दौरान व्यतीत किये जाने चाहिए।

उप आबकारी आयुक्त अपने दौरे के कार्यक्रम को इस प्रकार समान रूप से दो या तीन प्रक्रमों में वितरित करेंगे कि प्रक्रम लगभग 5 दिन का हो। दौरे के कार्यक्रम की प्रतिलिपियां पूर्ववर्ती मास की 25 तारीख तक आबकारी आयुक्त को गोपनीय ढंग से भेजी जायेंगी। यदि नियोजित दौरे के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना उत्तरवर्ती मास के दौरे के कार्यक्रम के साथ दी जानी चाहिए।

आसवनियों तथा यवासनियों का निरीक्षण—आसवनियों का निरीक्षण प्रयुक्त समस्त लहन (वाण) पात्रों, भभकों, उपकरणों इत्यादि के सावधानीपूर्वक परीक्षण और उत्पादित स्प्रिट के गुण, सान्द्रता, संचय इत्यादि के परीक्षण को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक बना देता है कि आसवनियों द्वारा तथा आसवनी के प्रभारी आबकारी स्टाफ द्वारा पालन किये जाने वाले सभी नियमों को समुचित रूप से लागू किया जा रहा है। आसवनियों में रखे गये लेखाओं तथा रजिस्टरों की विस्तृत जांच तथा समीक्षा की जानी चाहिए। प्रभारी निरीक्षक या निरीक्षकों द्वारा रखे जाने वाले यंत्रों, बाटों तथा मापों का सत्यापन तथा मानकीकरण प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।

आसवनियों में आबकारी कार्य के उच्च्च तकनीकी प्रकृति के होने से यह अपेक्षित है कि प्रभारी आबकारी निरीक्षक या निरीक्षकों को उप आबकारी आयुक्त की परामर्श तथा सहायता स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करनी चाहिए।

प्रत्येक आसवनी का प्रत्येक दो मास में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(2) यवासवनी के प्रत्येक निरीक्षण पर, उप आबकारी आयुक्त के वार्ट, पात्रों तथा उपकरणों एवं उत्पादित शराब का परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि यवासनियों से सम्बन्धित सभी नियम का अनुपालन किया जा रहा है। लेखाओं का भी विस्तार से परीक्षण इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि वे समुचित रूप से रखे जा रहे हैं।

प्रत्येक यवासवनी का निरीक्षण प्रत्येक छः मास में एक बार किया जाना चाहिए।

बन्धित गोदामों का निरीक्षण—बन्धित गोदामों के निरीक्षण में भवनों, संयंत्रों, बक्सों (चेस्टों), पदार्थों इत्यादि का सावधानीपूर्वक परीक्षण सम्मिलित है। स्प्रिट का स्टाक लेने, उसकी सान्द्रता, गुणवत्ता तथा गैलन (लिटर) माप तथा हैम्प भेषजों की गुणवत्ता तथा भार की जांच करने में यह देखने की दृष्टि से सावधानी बरतनी चाहिए कि बन्धित गोदामों से सम्बन्धित नियमों का सम्यक अनुपालन किया जा रहा है। यदि

निरीक्षण अधिकारी लोग पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं है। बन्धित गोदामों में शराब तथा हैम्प भेषजों की चोरी के अवसरों में वृद्वि होती है। परिवहन तथा संचय छीजन भी उप आबकारी आयुक्त के सूक्ष्म ध्यान की अपेक्षा करते हैं। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को कोई संस्तुति करने से पूर्व इस विषय के नियमों तथा तत्संबद्ध परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।

आबकारी विभाग बन्धित गोदामों तथा संलग्नकों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए उत्तरदायी हैं। उप आबकारी आयुक्त को उनमें से किसी प्रकार की त्रुटि को आबकारी आयुक्त के ध्यान में लाना चाहिए। ऐसी मरम्मत कराने तथा कार्य का निष्पादन कराने के लिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन न हो तथा त्रुटि के दूर करने के लिए भी उत्तरदायी है।

प्रत्येक बन्धित गोदाम का तीन मास में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा यंत्रों, बाटों तथा मापों का वर्ष में कम से कम एक बार मानकीकरण करना चाहिए।

उप आबकारी आयुक्त को अपने चार्ज के अन्तर्गत सभी विभागीय भवनों की चौहद्दियों की जांच यह देखने के लिए करनी चाहिए कि कोई अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। यदि किसी अतिक्रमण का पता लगता है तो उन्हें मामले का कलेक्टर को संदर्भ कर भूमि को विभाग को प्रतयवर्तित कराने के लिए कदम उठाने चाहिए।

आबकारी निरीक्षकों के निवारक तथा पकड़–धकड़ के कार्य का निरीक्षण–आबकारी निरीक्षकों के निवारक तथा पकड़–धकड़ के कार्य के निरीक्षण में दैनिक डायरियों, दौरा कार्यक्रमों, निकासी के रजिस्टरों, दुकानों के रजिस्टरों, लाइसेंसधारी विक्रेताओं के रजिस्टरों तथा अन्य रजिस्टरों और उप आकारी आयुक्त के चार्ज के अन्तर्गत क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों द्वारा संकलित विवरणियों की सूक्ष्म जांच सम्मिलित है। यद्यपि आबकारी निरीक्षकों द्वारा पकड़–धकड़ के कार्य की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इन अभिलेखों पर ध्यान देकर तथा इन पर पारित आदेशों द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, तो भी यह आवश्यक है कि उप आबकारी आयुक्त को यथा सम्भव बहुधा दुकानों का स्वयं स्वतंत्र निरीक्षण करना चाहिए और महत्वपूर्ण परिक्षेत्रों की जनता की इस सम्बन्ध में राय लेनी चाहिए कि क्या उनमें स्थित दुकानें नियमों के अनुसार चलायी जा रही हैं और क्या आबकारी तथा अफीम के अपराध प्रचलित हैं या नहीं। उप आबकारी आयुक्त विशिष्ट दुकानों तथा परिक्षेत्रों तथा पकड़–धकड़ तथा निवारक कर्तव्यों के अतिरिक्त जो अन्य कर्तव्य निरीक्षकों पर न्यायगत होते है, के महत्व को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए वर्ष के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या की प्रत्येक दुकान के लिए नियत करेगा। वह निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र में उन विशिष्ट परिक्षेत्रों या स्थानों का कालिक निरीक्षण भी विहित करेगा जिन्हें अपराधों का केन्द्र मानने के लिए

उसके पास पर्याप्त कारण हों या जिनका अन्य कारण से कालिक निरीक्षण करना आवश्यक हो, चाहे वहां आबकारी दुकानें स्थित हों या न हों।

प्रत्येक निवारक क्षेत्र के कार्य का निरीक्षण प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। उप आबकारी आयुक्त अपनी निरीक्षण टिप्पणी के हाशिये पर त्रुटि को 'डी0आर0' अंकित करेगा,जिसका अनुसरण करना उसके द्वारा आवश्यक समझा जाये। ऐसी त्रुटियों को बिना बिलम्ब के दूर किये जाने के लिए आबकारी निरीक्षक द्वारा उसके द्वारा रखे गये प्रारूप डी 42 के त्रुटि रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। निवारक तथा पकड़–धकड़ के कार्य की जांच में उन न्यायिक मामलों का परीक्षण भी सम्मिलित है, जिनमें दोष सिद्वि, उन्मोचन या दोष मुक्ति के आदेश को आबकारी आयुक्त के ध्यान में लाना अपेक्षित प्रतीत होता हो।

जिला कार्यालयों का निरीक्षण–जिले में निरीक्षण कार्य के लिए आने पर, प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार उप आबकारी आयुक्त जिला आबकारी कार्यालय का निरीक्षण करेगा तथा विशिष्ट रूप से (1) अनुज्ञप्त विक्रेताओं द्वारा प्रतिभूति जमा के (2) दुकानों के लिए लाइसेंस फीस के निर्धारण, भांग और प्राप्ति के (3) कोषागार में जमा किये गये शुल्क तथा फीस के और (4) ठेकेदारों इत्यादि को किये गये भुगतानों के लेखाओं की जांच करेगा। जिला कार्यालय के लिपिकों द्वारा दी गयी संगणना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। लाइसेंस फीसों के बकायों की विद्यमानता तथा ठेकेदारों के भुगतान विलम्ब के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की ओर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसको यह भी देखना चाहिए कि वेतन–बिल, आकस्मिक तथा अनाकस्मिक बिल सही प्रकार से और समय पर बनाये जाते हैं, यात्रा भत्ते के बिलों को त्वरिता से पास किया जाता है, वार्षिक वेतन वृद्धियां समय से आहरित की जाती है और कर्मचारियों के सभी वर्गों को देय वृद्धियों के बकाया बिना विलम्ब के आहरित किये जाते हैं एवं निर्धारित विवरण तथा विवरणियां समय से भेजी जाती है। उसे परीक्षण करना चाहिए कि सेवा पंजिकायें अद्यतन है और पेंशन के कागजात के तैयार करने में कोई विलम्ब नहीं होता है।

उप आबकारी आयुक्त अपने कार्यालय के अधिष्ठान के यात्रा–भत्तों, वेतन तथा आकस्मिक व्यय के वितरण के मामलों में आहरण तथा वितरण अधिकारी है। ऐसे सभी व्यय तथा लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों का लेखा उसके द्वारा रखा जाता है। वह अपने चार्ज के आबकारी कांस्टेबिल की नियुक्ति, अवकाश, दण्ड इत्यादि का नियंत्रण करता है।

उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय का निरीक्षण–उप आबकारी आयुक्त छः मास में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा। ऐसे निरीक्षण के दौरान समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न आदेशों को

क्रियान्वित करने के लिए की गयी कार्यवाही की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए उसको यह भी देखना चाहिए कि वेतन बिल, आकस्मिक तथा आकस्मिक बिल सही तथा समय से तैयार किये जाते हैं, यात्रा भत्ते शीघ्रता से पास किये जाते हैं, आबकारी स्टाफ के सभी संवर्गों की वेतन वृद्वियां बिना विलम्ब के आहरित किये जाते हैं तथा विवरण तथा विवरणियां समय से भेजी जाती है और पेंशन के कागजात की तैयारी में कोई विलम्ब नहीं होता है।

(IV) सहायक आबकारी आयुक्त

सहायक आबकारी आयुक्त उत्तरांचल आबकारी सेवा (श्रेणी–दो) गठित करते हैं। उनके नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित उत्तरांचल आबकारी श्रेणी–दो सेवा नियमावली 2006 में समावेश है–

सहायक आबकारी आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित कर्तव्यों के लिए की जाती है–

1. कलेक्टर के अधीन जिलों में आबकारी प्रशासन के प्रभारी।
2. आसवनियों के प्रभारी अधिकारी (वर्तमान में उत्तरांचल में नहीं)।
3. उप आबकारी आयुक्तों के मुख्यालय पर प्रवर्तन दल के प्रभारी। इनके अतिरिक्त चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में जनपदीय प्रवर्तन दलों के लिए भी पद उपलब्ध हैं।
4. आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर – चार उपायुक्तों के अधीन आबंटित विभागों में सहयोगार्थ।

जिले के सहायक आबकारी आयुक्त –

(अ) जिले के सहायक आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ कार्यरत आबकारी निरीक्षकों, लिपिकों, आबकारी कांस्टेबिलों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व्यय के नियंत्रक अधिकारी हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करेंगे और उनकी, उनके कार्य में सहायता करेंगे। वे समस्त महत्वपूर्ण मामलों में उप आबकारी आयुक्त से परामर्श ग्रहण करेंगे।

(ब) जिले के प्रभारी के रूप में नियुक्त सहायक आबकारी आयुक्त कलेक्टर के अधीन रहते हुए उत्तरदायी हैं:–

1. जिले के अन्दर लाइसेंस दी जाने वाली दुकानों की संख्या तथा स्थिति को तय करने के लिए,
2. लाइसेंसधारियों के चयन के लिए,
3. लाइसेंसों के नवीनीकरण तथा निरस्तीकरण के लिए,
4. लाइसेंस फीस के संग्रह के लिए,

5. लाइसेंसधारी विक्रेताओं के आचरण पर नियंत्रण रखने के लिए,

6. जिले के सांख्यिकी तथा लेखाओं को रखने के लिए,

7. जिलों को आबंटित आकस्मिक अनुदान के लिए,

8. पारितोषिकों को प्रदान करने के लिए,

9. 1– धारा 15 के अन्तर्गत विहित मात्रा से अधिक मादक वस्तुओं के निर्यात तथा परिवहन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन पास प्रदान करने की शक्ति,

(3) धारा 6 के अधीन घोषित फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तुओं को कब्जे में रखने के लिए धारा 20 के अधीन पास प्रदान करने की शक्ति,

वह आबकारी विधियों तथा नियमों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। उसे आबकारी मुकदमों की जांच तथा अभियोजन की तस्करी के केन्द्रों पर रेड (दबिश) करनी होती है। उससे अवैध छेने को रोकने क अपेक्षा की जाती है। लाइसेंसधारी विक्रेताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए उससे ताडी, भांग, देशी स्प्रिट विदेशी मदिरा, विकृत स्प्रिट की दुकानों, आसवनियों, यवासवनियों, बन्धित गोदामों, बंधित तथा अबन्धित फार्मेसियों एवं अल्कोहल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण अपेक्षित है।

सहायक आबकारी आयुक्त अपने अधीन कर्मचारियों के कार्य की प्रगति पर उनकी दैनिक डायरियों, रजिस्टरों तथा कालिक विवरणियों तथा उनके कार्य की स्थानीय निरीक्षण द्वारा भी निगरानी रखेंगे। डायरियां संवीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 मुख्यालय को अग्रसारित की जायेगी। निरीक्षण टिप्पणियों की प्रतिलिपियां भी सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 के माध्यम से पूर्व मास में अपने अधीन प्रत्येक आबकारी निरीक्षक द्वारा किये गये कार्य का प्रपत्र डी–3बी में विवरण अपनी टिप्पणी के साथ तथा अपने द्वारा स्वयं किये गये कार्य के सम्बन्ध में डी–3 प्रपत्र में विवरण जिस मास से सम्बन्धित है, उसके आगामी मास की विलम्बतम 7वीं तारीख तक आबकारी आयुक्त को भेजेंगे।

आसवनियों के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त–आसवनियों के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आसवनियों तथा उनके नियुक्त आबकारी निरीक्षकों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। वह स्प्रिट की अवैध निकासी तथा आबकारी शुल्क के अपर्वचन के विरूद्ध सभी बचाव वाले उपाय लागू करेगा तथा विधियों तथा नियमों के सम्पक् पालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा। वह आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आबकारी निरीक्षक तथा आसवनी के कार्य का निरीक्षण करेगा। राजस्व की हानि से सम्बन्धित स्प्रिट की अवैध निकासी, चोरी, क्षरण तथा चोरी से निकालने के सभी मामलों की

तुरन्त उप आबकारी आयुक्त तथा आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जायेगी। वर्तमान में उत्तरांचल में आसवनियों हेतु पद स्वीकृत नहीं है।

सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन—सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) संयुक्त आबकारी आयुक्त (आबकारी अभिसूचना ब्यूरो) के निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। वह अपने क्षेत्राधिकार में एक मण्डलीय/जनपदीय प्रवर्तन दल का प्रभारी है, जिसमें एक आबकारी निरीक्षक तथा आबकारी कांस्टेबिल क्षेत्राधिकार के भीतर अवैध मद्य निष्कर्ष तथा मादक वस्तुओं की तस्करी को रोकने तथा नियन्त्रित करने के लिए होते हैं। वह आबकारी कर्मचारियों तथा लाइसेंसधारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच भी करता है।

(106 से 108 आबकारी अधीक्षकों के पदों की समाप्ति के कारण निकाल दिये गये हैं)

आबकारी निरीक्षक

क—सामान्य

1. आबकारी निरीक्षक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा को गठित करते हैं, उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित नियम आबकारी मेनुअल खण्ड VI में पाये जायेंगे।
2. आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य के समस्त जिलों में निम्नलिखित कर्तव्यों के लिए की जाती है।
    1. **निवारक क्षेत्र**—दुकानों के पर्यवेक्षण तथा आबकारी, अफीम और प्रकीर्ण अपराधों जिनका विभाग से संबंध है, के निवारण तथा अभियोजन के लिए,
    2. **आसवनियां, ब्रिवरीज, विदेशी मदिरा निर्माणशालाओं में** — नियमों के अनुसार पेय तथा वाणिज्यिक स्प्रिट और पावर एल्कोहल के समुचित विर्निमाण तथा उनके संग्रह तथा निकासी के लिए।
    3. **बंधित गोदामों में** — देशी स्प्रिट तथा हैम्प भेषजों के संग्रह तथा निकासी के लिए स्थापित बन्धित गोदाम के पर्यवेक्षण के लिए,
    4. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 तथा उनके अधीन बनी नियमावली के अधीन अनुज्ञप्त बन्धित निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए,
    5. **पावर अलकोहल मिश्रण डिपो**—पावर अलकोहल के संग्रह तथा मिश्रण पर पर्यवेक्षण के लिए,

6. **शीरा ड्यूटी**–चीनी कारखानों में उत्पादित शीरे के संग्रह तथा वितरण पर समुचित पर्यवेक्षण के लिए,

7. **मद्यनिषेध क्षेत्र**–आबकारी तथा अफीम के अपराधों को पकड़ने तथा उनके अभियोजन के लिए,

8. **विशेष दस्तों (प्रवर्तन दलों) में**– गांजा, चरस, अफीम इत्यादि के स्थानीय निवारण के लिए।

9. **अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों पर** – अंतर्राज्यीय तस्करी के निवारण के लिए।

10. **सी0एस0डी0 डिपो में** –

आबकारी निरीक्षक को इन कर्तव्यों में से एक या अधिक के प्रभार पर रखा जा सकता है। आबकारी निरीक्षक निम्नलिखित विशेष पदों पर मुख्यालय में नियुक्त किया जाता है –

i. आबकारी आसूचना ब्यूरो से संलग्न विशेष खोजी तथा अन्वेषण अधिकारी (उपायुक्त ई0आई0बी0 के अधीन)।

ii. आबकारी आयुक्त के वैयक्तिक स्टाफ वर्ग में विशेष निरीक्षण अधिकारी (उपायुक्त कार्मिक/अधिष्ठान के साथ सहायतार्थ)।

ii. आपराधिक अन्वेषण कार्य का प्रभारी आबकारी निरीक्षक (उपयुक्त लाईसेंसिंग/उत्पादन/वितरण के साथ सहायतार्थ)।

ख–भत्ता

प्रत्येक आबकारी अधिकारी को प्रतिमास....................................रूपये का निर्धारित देशी लेखन सामग्री का भत्ता अदा किया जाता है।

यात्रा भत्ता को शासित करने वाले नियमों के लिए देखें, वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–3।

1. आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश के आवेदन की सामान्यतया उस तिथि, जिस पर वांछित है कि अवकाश को प्रारम्भ होना चाहिए, के कम से कम एक मास पूर्व आबकारी आयुक्त के पास पहुंचना चाहिए।

2. उप आबकारी आयुक्त द्वारा आवेदन को सीधे आबकारी आयुक्त को भेजा जाना चाहिए, जिसके कार्यालय में आवेदन किये गये अवकाश की स्वीकार्यता को सत्यापित किया जायेगा।

3. आबकारी आयुक्त द्वारा आवेदनों पर पारित आदेशों की सूचना उप आबकारी आयुक्त तथा कलेक्टर, को दी जायेगी।

4. अवकाश के सर्वोत्तम विनियमन तथा नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सामान्य अनुदेशों को अधिकथित किया गया है और इनको कड़ाई से लागू किया जायेगा–

क. आबकारी निरीक्षकों को पहले से ही अवकाश पर जाने के अपने आशय की दो मास की सूचना को देने के लिए कहा गया है और उनसे कहा गया है कि यदि वे ऐसी सूचना देने में असफल रहते हैं, तो अवकाश का उनका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। वास्तव में, ऐसी सूचना की तब अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब अवकाश की मांग चिकित्सकीय आधारों पर की जाती है।

ख. यह पाया जाता है कि अवकाश की वृद्धि का आवेदन दिया जाना बहुत आम है। अवकाश की वृद्वि के अनुरोध को हतोत्साहित करना वांछनीय है। नियमानुसार, अवकाश के लिए खण्डशः आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतया, आबकारी निरीक्षकों से अवकाश की कुल अवधि, जिनकी उनको आवश्यकता है, के विषय में प्रारम्भ में ही विचार बना लेने की आशा की जाती है। अवकाश में वृद्धि का परिणाम गंभीर असुविधा होती है और इसके कारण कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित हो जाता है। यदि विशेष परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो वृद्धि के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जायेगा सिवाय तब के, जब कि अवकाश में वृद्धि का अनुरोध चिकित्सीय आधारों पर किया जाता है। जब वृद्धि की वांछा स्वास्थ्य के कारणों से की जाती है, तब ऐसे आवेदनों को निरपवाद रूप से समुचित, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य के कारणों से प्रारम्भ में अवकाश की स्वीकृति के लिए दिये गये आवेदनों को भी चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

ग. जहां निरीक्षक एक मास से अधिक का अवकाश नहीं लेते हैं, वहां, सामान्यतया, बाहर से स्थापन्न को भेजना सम्भव नहीं होगा, किन्तु उन मामलों में, जहां एक मास से अधिक का अवकाश स्वीकार किया जाता है, वहां निरपवाद रूप से बाहर से स्थानापन्न की व्यवस्था की जायेगी और अन्य क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक से उस क्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार को धारण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ. उप आबकारी आयुक्त को यह देखना चाहिए कि स्थापन्न की व्यवस्था बिना अपरिहार्य विलम्ब के उन रिक्तियों के लिए की जाये, जो एक मास से अधिक के लिए जारी रहेगी।

ड़. ये आदेश आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को लागू होते हैं।

आकस्मिक अवकाश– सरकार के आदेशों के द्वारा विहित अवधि से अनधिक का आकस्मिक अवकाश सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

आकस्मिक अवकाश को स्वीकार करने वाले उप/सहायक आबकारी आयुक्त की तथ्य की सूचना तत्परता से कलेक्टर को देनी चाहिए।

अत्यधिक मामलों में कलेक्टर जिले में आबकारी निरीक्षक को तीन दिन से अधिक का अवकाश स्वीकृत कर सकता है। ऐसे मामलों में, उसे तत्परता से इस तथ्य की सूचना उप/सहायक आबकारी आयुक्त को देनी चाहिए।

घ–नियंत्रण तथा आचरण

आबकारी आयुक्त का नियन्त्रण–मैनुअल खण्ड ट५ में दिये गये नियमों के अधीन आबकारी निरीक्षक की नियुक्ति, स्थायीकरण तथा स्थानांतरण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। आबकारी निरीक्षक को दण्ड, जिसमें उसको हटाने या बरखास्तगी भी सम्मिलित है, की शक्ति आबकारी आयुक्त में निहित है, जो दुराचरण या असन्तोषजनक कार्य के लिए समयमान के अधीन वेतनवृद्धि को रोक सकेगां

आबकारी निरीक्षकों का लाइसेंसधारी के साथ सम्बन्ध–निरीक्षकों को किसी आबकारी ठेकेदार के गृह में या व्यय पर ठहरने या स्वयं को ऐसे व्यक्तियों की किसी बाध्यता के अधीन रहने से रोका जा सकता है।

आबकारी निरीक्षक की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित कराये जाने हेतु, विस्तृत समयसारिणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

1. आबकारी निरीक्षक के सम्बन्ध में (प्रवर्तन को छोड़कर)

(क) आबकारी निरीक्षक स्वमूल्यांकन करके अपना कार्य विवरण तीन प्रतियों में अपने सहायक आबकारी आयुक्त की विलम्बतम दिनांक 30 अप्रैल, तक अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

(ख) सहायक आबकारी आयुक्त उक्त कार्य विवरण पर अपना मत अंकित करके सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार को आबकारी आयुक्त कार्यालय में नोडल अधिकारी को दिनांक 7 मई तक उपलब्ध करा देंगे। यदि कार्य विवरण न प्राप्त हो तो भी सम्बन्धित कर्मचारी की शिथिलता का उल्लेख करते हुए उसके कार्य पर अपना मत अंकित करके उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय को कार्य विवरण 7 मई तक उपलब्ध करा देंगे।

(ग) उप आबकारी आयुक्त, प्रभार/मुख्यालय/नोडल अधिकारी उक्त कार्य विवरण पर अपना मत

अंकित कराकर कार्य विवरण की एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को एवं दूसरी प्रति आबकारी आयुक्त को सीधे 15 मई तक उपलब्ध करा देंगे।

(घ) सम्बन्धित जिलाधिकारी उक्त कार्य विवरण पर अपना मत अंकित कराकर कार्य विवरण आबकारी आयुक्त को दिनांक 31 मई, तक उपलब्ध करा देंगे।

2. आबकारी निरीक्षक (प्रवर्तन) के सम्बन्ध में :–

(क) समस्त आबकारी निरीक्षक (प्रवर्तन) स्वमूल्यांकन करके अपना कार्य विवरण तीन प्रतियों मं अपने सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) को 30 अप्रैल, तक उपलब्ध करा देंगे।

(ख) सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) उक्त कार्य पर अपना मत अंकित कराकर कार्य विवरण उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 को दिनांक 15 मई तक उपलब्ध करा देंगे।

(ग) संयुक्त आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 उसके कार्य विवरण पर अपना मत अंकित कराकर कार्य विवरण 31 मई तक आबकारी आयुक्त को उपलब्ध करा देंगे।

(आबकारी आयुक्त का आदेश संख्याः158/बी0एस0/बी0प्र0 1989–90 दिनांक मार्च 30, 1992)

तदन्तर आबकारी आयुक्त स्वयं अपने कार्यालय में रखी चरित्र पंजिका में प्रत्येक आबकारी निरीक्षक की कार्य कुशलता एवं सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में अक्टूबर 1 से पूर्व अपना सुविचारित मत अंकित करेंगे। आबकारी आयुक्त का मत अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण तथा ज्ञान (यदि कोई हो) तथा उप आबकारी आयुक्त एवं जिलाधिकारी की रिपोर्टों पर आधारित होगा। जब आबकारी आयुक्त के विचार से उसके द्वारा अंकित मत आबकारी निरीक्षक की प्रोन्नति को कुप्रभावित करेगा तब वह उसे सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक को सूचित करेगा और यह देखेगा कि ऐसा कर दिया गया है।

(मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर तथा आबकारी आयुक्त आदेश संख्या 7578–79/ IV-A/दिनांक सितम्बर 30, 1931)

ड़–कर्तव्य

क्षेत्र मुख्यालय तथा दौरा– आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक निरीक्षक को निश्चित क्षेत्र आबंटित किया जायेगा, जिसे उसे विशेष परिस्थितियों के, जिनका सदैव स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, सिवाय आदेश के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए मुख्यालय नियत किया जायेगा। निरीक्षक से नियमानुसार, वर्ष में 175 से

अन्यून दिनों के लिए दौरा पर या मुख्यालय से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। उप आबकारी आयुक्त इस नियम को शिथिल करने के लिए प्राधिकृत है, यदि विशेष रूप से उस निरीक्षक, को जो बन्धित गोदाम का प्रभारी है, के मामले में वर्ष के विभिन्न भागों में दौरा पर व्यतीत किये जाने वाले दिनों के वितरण के सम्बन्ध में अनुदेशों को जारी करना आवश्यक हो। यह उन मामलों में एक है, जिनमें कलेक्टरों से विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

उप/सहायक आबकारी आयुक्त को इस नियम को शिथिल करने वाले किसी आदेश की प्रतिलिपि को तत्काल आबकारी आयुक्त को भेजना चाहिए।

डायरी तथा उसके सार को प्रस्तुत करना–प्रारूप डी–8 में दैनिक डायरी रखी जानी चाहिए। इसे तीन प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। आबकारी निरीक्षक अपनी डायरी की दूसरी तथा तीसरी प्रतिलिपि अपने अव्यवहित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा,जो एक प्रतिलिपि रख लेगा और दूसरी को उप आबकारी आयुक्त मुख्यालय ई0आई0बी0 को अग्रसारित करेगा। प्रत्येक सप्ताह के लिए डायरी की दूसरी प्रतिलिपि प्रत्येक मास की पहली, आठवीं, सोलहवीं तथा तेइसवीं तिथि को प्रस्तुत की जायेगी। आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रारूप डी–3सी में रखे गये रजिस्टर की प्रविष्टियां साप्ताहिक सार के आधार पर की जायेगी। दैनिक डायरी को रखने के अनुदेश विहित प्रारूप डी–8 में दिये गये हैं।

गांव निरीक्षक के दौरान, अधिनियम की धारा 57 के अधीन भूमि के स्वामियों तथा अधिभोगियों के दायित्वों का उन्हें ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार अनुदेशित व्यक्तियों के नाम की डायरी में प्रविष्टि करानी चाहिए।

प्रत्येक आबकारी निरीक्षक विशेष या सामान्य बिन्दुओं पर, जिन पर सहायक/उप आबकारी आयुक्त द्वारा या जिला आबकारी अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा सूचना अपेक्षित है, जांचों के परिणाम की रिपोर्ट देगा। वह यथा सम्भव कम विलम्ब सहित किसी खोज, जिसे वह आबकारी विधियों के विरूद्ध किसी अपराध या तत्काल की अपेक्षा करने वाले अन्य मामले पर करे, की विशेष रिपोर्ट उप आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0 को सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से देगा।

दौरा कायक्रम–साप्ताहिक डायरी के अन्त में, आबकारी निरीक्षक आगामी सप्ताह के लिए तैयार किये गये दौरा कार्यकम को शामिल करेंगे। नियत कार्यकम से विचलन, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण दैनिक डायरी में दिया जाना चाहिए।

रजिस्टरों का रख–रखाव–आबकारी निरीक्षक निम्नलिखित रजिस्टरों को अद्यतन बनाये

रखने के लिए उत्तरदायी होंगेः–

(1) दुकान रजिस्टर (प्रारूप डी–10) जिसमें दुकान के निरीक्षणों के परिणाम अभिलिखित किये जायेंगे, दुकान के निरीक्षण के समय पूछे जाने वाले प्रश्नो तथा इस रजिस्टर में अभिलिखित किये जाने वाली टिप्पणी से सम्बन्धित पूर्ण निर्देश प्रारूप डी–9 में दिये गये हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक रजिस्टर के साथ संलग्न की जायेगी।

(2) अनुज्ञप्त विक्रेताओं का रजिस्टर (प्रारूप डी–11) इसकी आवश्यकता केवल उन विक्रेताओं की जो सीधे अपने लाइसेंस से संलग्न है, के मामले में होती है, न कि ठेकेदारों के किरायेदारों के मामले में। विक्रेताओं के कार्य तथा चरित्र से सम्बन्धित सभी टिप्पणियों को इस रजिस्टर में प्रविष्टि के पूर्व अनुमोदन के लिए उप/सहायक आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) गांव या मोहल्ला रजिस्टर (प्रारूप डी–12)– इसका तात्पर्य आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में गांव का रजिस्टर होने से है, जो विशेष रूप से उसके ध्यान की अपेक्षा करता है। उन पर सूक्ष्म निगरानी रखना आवश्यक है क्योंकि आबकारी अपराध की दृष्टि से वे क्षेत्र में सबसे खराब गांव होते हैं। केवल ऐसे गांवों की इसमें प्रविष्टि की जायेगी, जो या तो (क) आबकारी अपराधों के दोष सिद्ध व्यक्तियों, जिसमें उनमें भविष्य के रहते हुए आबकारी अपराध का आश्रय लेने की सम्भावना है, या (ख) उनमें ऐसे व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जिनका अभ्यस्त आबकारी अपराधियों से अन्तरंग सम्बन्ध है, या (ग) पिछले तीन वर्षों के अन्तर्गत गांव में गम्भीर प्रकृति का आबकारी अपराध किया गया है या (घ) आबकारी अपराध के केन्द्र के काफी निकट का गांव होने के कारण या (ड.) किसी अन्य विशेष कारण से सावधानीपूर्ण तथा बार–बार पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित हो। इस रजिस्टर का पुनरीक्षण समय–समय से उप आबकारी आयुक्त के आदेशों के अधीन आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा किन्तु पूरा पुनरीक्षण तीन वर्षों के बाद किया जाना चाहिये।

उप/सहायक आबकारी आयुक्त ऐसे विहित स्थानीय कारणों, जैसे दूरी जिसे निरीक्षक को चलना होगा, गांवों में पहुंच और क्षेत्र में आबकारी कार्य की सामान्य दशाओं को, ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव के निरीक्षण का मानक विहित करेगा। रजिस्टर के गांवों के निरीक्षण को उन गांवों जो रजिस्टर पर नहीं है, के निरीक्षण से अधिक महत्वपूर्ण माना जायेगा प्रविष्टि किये गये गांवों के लिए आबंटित पृष्ठ के प्रारम्भ में दर्शित किया जायेगा। प्रविष्टि किये गये सभी गांवों की अनुक्रमणिका तैयार की जायेगी। अनुक्रमणिका की प्रविष्टियां अकरादिक्रम में होगी लेकिन गांवों के रजिस्टर को अकारादिक्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी गांव को उप आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा के बिना सूची में नहीं लाया जायेगा तथा न ही निकाला जायेगा। जब किसी क्षेत्र में गांव की संख्या, जिसे रजिस्टर मं दर्शित किया जाना चाहिए, 100 से अधिक होती है, तब केवल 100 गांवों, जिन्हें आबकारी अपराध की दृष्टि से बुरा होना निर्णीय किया जाता है और जिन पर आबकारी की ओर से अत्यधिक सतर्क ध्यान की आवश्यकता है, को प्रविष्टि किया जायेगा। नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों के मामले में, प्रविष्टियां पृथक–पृथक रूप से प्रत्येक मोहल्ला के लिए गांव रजिस्टर में की जायेगी। मुखियाओं के नामों को नगर सूची से निकाल दिया जायेगा। उप/सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक के कार्य के अपने कालिक निरीक्षण के समय सावधानीपूर्वक गांव रजिस्टर का परीक्षण करेगा और अपनी निरीक्षण टिप्पणी में इसके रख–रखाव पर विचार करेगा। उप/सहायक आबकारी आयुक्त को यह देखना अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य मानना चाहिए कि ये रजिस्टर समुचित ढंग से रखे जाते हैं।

(4) निरीक्षकों से गोपनीय नोट बुक रखने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें वे अपने क्षेत्र से स्थानांतरण के समय या तीन मास के अवकाश पर जाते समय विभिन्न महत्वपूर्ण तथा गोपनीय मामलों के बारे में टिप्पणी करेंगे, परन्तु यह जब तक वे कम से कम 6 मास के लिए क्षेत्र का प्रभार धारण किये हों। निरीक्षक, जो 6 मास से कम के लिए क्षेत्र का प्रभार धारण किये हों। निरीक्षक, जो 6 मास से कम के लिए क्षेत्र का प्रभार धारण किये हों, भी इस पुस्तिका में टिप्पणी लिख सकेंगे, किन्तु केवल जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए उप/सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञा दी गयी हो। नोट बुक में पांच भाग होंगे, अर्थात–

भाग–1 (सामान्य)

(क) क्षेत्र तथा जनसंख्या के बारे में सामान्य आंकड़े

(ख) प्राकृतिक संरचना

(ग) संचार के साधन

(घ) मादक द्रव्यों का उपभोग करने वाले मुख्य वर्गों की आर्थिक स्थिति और आय के उनके प्रमुख स्रोत।

(ड.) दौरा तथा रात्रि विश्राम

(च) मादक द्रव्यों के मूल्य–निर्गम तथा फुटकर

भाग–2(प्रशासनिक)

(क) आबकारी तथा पुलिस–पता लगाने में सहयोग तथा अभियोजन कार्य।

(ख) स्थानीय स्थितियां

(ग) ताड़ी पर्यवेक्षक–उनकी ईमानदारी, बुद्वि, श्रम, विश्वसनीयता इत्यादि के सम्बन्ध में।

(ग) आबकारी कांस्टेबिल उनकी ईमानदारी, आज्ञा पालन, श्रम, खोजी कार्य के लिए क्षमता इत्यादि के सम्बन्ध में।

भाग–3 (मद्यनिषेध)

(क) मद्य निषेध आन्दोलन–सोसाइटी या समितियां

(ख) जाति पंचायत

(ग) स्थानीय मेले

भाग–4 (अपराध)

(क) आबकारी अपराध–पृथक रूप से प्रत्येक शीर्षक के अधीन अपराधों के प्रचलन, वितरण, निवारण तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी

(ख) आबकारी दुकानें–जिनकी निगरानी की आवश्यकता है।

(ग) अभ्यस्त आबकारी अपराधी

(घ) सन्देहास्पद व्यक्ति–नाम तथा संदेह के लिए कारण

(ड.) सूचनादाता

(च) सीमावर्ती अपराध

भाग–5 (राजस्व)

(क) अनुज्ञापन की विभिन्न प्रणालियों के कार्य

(ख) आबकारी ठेकों के सम्बन्ध में एकाधिकार

(ग) अवांछनीय लाइसेंसधारी

(घ) सरकारी बकायों की अदायगी में विलम्ब करने वाले अधिकारी विकेता

(ड.) आबकारी दुकानें

सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा वांछित किसी अन्य मामले की भी अनुपूरक शीर्ष के अधीन नोट बुक में प्रविष्टि किया जा सकेगा। उप/सहायक आबकारी आयुक्त प्रत्येक वर्ष जुलाई में समाप्त होने वाले तीन मास के दौरान सावधानीपूर्वक नोट बुक का परीक्षण करेगा और यह देखेगा कि इसे अद्यतन रखा जाता है।

(5) प्रत्येक आबकारी निरीक्षक अपने क्षेत्र का नक्शा रखेगा, जिनमें उन स्थानों को, जिनमें आबकारी अपराध का पता लगाया है, नीचे दिये गये अनुदेशों के अनुसार चिन्हित किया जायेगा। क्षेत्र के महत्वपूर्ण सड़कों तथा संचार साधनों को भी नक्शा में दर्शित किया जायेगा।

(6) **मासिक विवरण को प्रस्तुत करना**—प्रत्येक मास के समापन के बाद निरीक्षक यात्रा भत्ता बिल के साथ प्रारूप डी–3बी में कार्य के मासिक विवरण को सहायक आबकारी आयुक्त को सौंपेगे।

(7) **निवारक कर्तव्य पर आबकारी निरीक्षक**—निवारक कर्तव्य पर रहने वाले आबकारी निरीक्षक से सभी आबकारी व्यवस्था के कार्य का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने तथा विधि के सभी संदिग्ध अपर्वचन के विस्तार तथा प्रकृति की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के ज्ञान में किसी ऐसी त्रुटि को, जिसे वह खोजे या सुधारों जिनका वह स्वयं सुझाव दे, को लाना चाहिए।

(8) **संग्रह तथा तहसील रजिस्टरों के सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक के कर्तव्य**—आबकारी निरीक्षक अपने क्षेत्र के लाईसेंसधारियेां द्वारा लाईसेंस फीस की नियत तारीख पर अदायगी सुनिश्चित करेंगे और जिला आबकारी अधिकारी के गैर अदायगी के सभी मामलों की रिपोर्ट अगले आने वाले दिन जिला आबकारी अधिकारी को करेगा। इस प्रयोजन के लिए वह इस नियमावली के अधीन तहसील कार्यालयों में रखे गये सभी रजिस्टरों का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है। तहसीलदार आबकारी निरीक्षक के आवेदन पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए आबकारी रजिस्टरों के प्रभारी पदधारी को निर्देश देगा। उसे इन रजिस्टरों का परीक्षण हर मास करना होगा और अपनी निरीक्षण पुस्तिका में अपनी परीक्षा के परिणाम को अभिलिखित करना चाहिए।

(9) **दुकानों का निरीक्षण**—दुकानों के निरीक्षण में सामान्यतया ध्यान की अपेक्षा करने वाले विषयों का वर्णन प्रारूप डी–9 में है, किन्तु यह सूची सर्वांगीण नहीं है और इसे ध्यान में रखना चाहिए कि दुकानों का निरीक्षण, निरीक्षण कार्य का एक भाग है, उसे स्वयं को ठेकेदारों तथा अनुज्ञप्ति धारकों के कारोबार के ढंग से परिचित होना चाहिए और व्यापारिक संयोजनों का पता लगाने में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, उसे स्वयं को आबकारी योग्य वस्तुओं, वर्गों,

जो उनका उपयोग करते हैं तथा गांवों, जिनमें अवैध व्यापार का सन्देह है, से भी परिचित रखना चाहिए।

अन्य जिलों के साथ सहयोग—कभी—कभी सामान्य सीमा पर संलग्न जिलों के निरीक्षकों के लिए साथ—साथ या अन्य राज्यों के साथ सीमावर्ती जिलों के मामले में उन राज्यों के निरीक्षकों के साथ कार्य करना लाभप्रद पाया जायेगा। उप आबकारी आयुक्त को तब इसके लिए प्रबन्ध करना चाहिए, जब इसे आवश्यक समझा जाता है।

कम शुल्क वाले क्षेत्रों में विकय तथा परेषणों की समीक्षा—उन जिलों में जहां स्प्रिट उच्च शुल्क क्षेत्र से कम शुल्क क्षेत्र को ले जायी जाती है, जितने अधिक सम्भव हो उतने परेषणों को उनके कम शुल्क के क्षेत्र में आने पर सत्यापित करना आवश्यक है। उच्च क्षेत्र से लगी दुकानों में विकय की सावधानीपूर्वक समीक्षा अपेक्षित है, ताकि यदि यह पाया जाता है कि इसे उपभोक्ताओं द्वारा उच्च शुल्क क्षेत्र से बार—बार ले जाया जाता है तो दुकान को हटाया जा सके।

जहां जंगली हैम्प के एकत्र करने की अनुमति है वहां हैम्प पौधों पर निगरानी—उन जिलों में जहां जंगली हैम्प को एकत्र करने की अनुमति है, वहां यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि ग्रामीण उन पौधों की सिंचाई नहीं करते, उन्हें खाद नहीं देते या अन्यथा खेती नहीं करते हैं, जो प्रारम्भ में प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं। खेती के क्षेत्र में ऐसे पौधों का अस्तित्व का इस तथ्य का साक्ष्य है कि उन्हें जानबूझ कर संरक्षित किया गया है।

अभियोजन का संचालन—दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 495 के अधीन मजिस्ट्रेट की अनुमति से कलेक्टर द्वारा आबकारी निरीक्षक को आबकारी तथा स्वापक औषधि और मनप्रभावी अधिनियम के अधीन मुकदमों के अभियोजन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जब ऐसा करना विशेष परिस्थितियों में अभीष्ट हो।

आसवनी, ब्रिवरी, विदेशी मदिरा निर्माणशाला या बन्धित गोदाम का प्रभार—जब आबकारी निरीक्षक आसवनी, ब्रिवरी, विदेशी मदिरा निर्माणशाला या गोदाम का प्रभारी हो, तब उसका प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि समस्त स्प्रिट या भेषजों पर उनकी निकासी किये जाने से पूर्व सही शुल्क का भुगतान कर दिया गया है या बन्ध पत्र के अधीन निकासी के मामले में संदेय शुल्क की धनराशि बन्धना में समाविष्ट है। उसे स्प्रिट की माप, संग्रह तथा निकासी को भी नियंत्रित करना चाहिए और देखना चाहिए कि निर्धारित लेखा नियमित रूप से रखे जाते हैं और सभी सावधानी युक्त उपाय कियान्वित करने चाहिए।

विभागीय आबकारी क्लर्क

विभागीय आबकारी क्लर्क नियुक्त किये जाते हैं–

1. आबकारी आयुक्त के अधिष्ठान के लिए,
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त के कार्यालय के लिए,
3. उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय के लिए,
4. सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय के लिए,
5. आसवनी, ब्रिवरी, विदेशी मदिरा निर्माणशालाओं के लिए,
6. कतिपय बन्धित गोदामों के लिए, और
7. कतिपय कलेक्टर के कार्यालयों के लिए।

टिप्पणी–नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित नियमावली आबकारी मैनुअल खण्ड–VI में पायी जायेंगी। आबकारी लिपिकों के यात्रा भत्ते वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड III द्वारा शासित हैं।

आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश उप/सहायक आयुक्त अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। आकस्मिक अवकाश उनके अव्यवहरित अधिकारी, जो सहायक आबकारी आयुक्त से कम स्तर का नहीं होगा, द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

परिनिन्दा के सिवाय, प्रोन्नति, स्थानांतरण और दण्ड के आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जायेंगे। सहायक आबकारी आयुक्त अपने अधीन कार्यरत लिपिकों की परिनिन्दा का दण्ड देने के लिए सशक्त किये गये हैं।

लिपिकों पर रिपोर्ट–सहायक आबकारी आयुक्त अपने कार्यालयों तथा आसवनियों के लिपिकों के कार्य तथा आचरण पर रिपोर्ट चार्ज के उप आबकारी आयुक्त को भेजेंगे, जो अपनी अभ्युक्ति अभिलिखित कर हर वर्ष मई मास के दौरान आबकारी आयुक्त को भेजेगें। उप आबकारी आयुक्त तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त के कार्यालय में नियोजित लिपिकों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मई मास में सीधे आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी। आबकारी आयुक्त लिपिकों को अपने कार्यालय में रखी चरित्र पंजिकाओं में सितम्बर से पूर्व प्रविष्ट करेगा।

मई मास में उप आबकारी आयुक्त अपने चार्ज के बन्धित गोदामों की नियोजित प्रत्येक लिपिक के कार्य तथा आचरण पर सम्बद्ध कलेक्टर को रिपोर्ट देंगे, जिसे कलेक्टर द्वारा आबकारी निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आबकारी आयुक्त को अग्रसारित किया जायेगा। प्रत्येक लिपिक के कार्य तथा आचरण पर वार्षिक रिपोर्ट में सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

कर्तव्य—आवनियों या बन्धित गोदामों से संलग्न लिपिक प्रभारी आबकारी निरीक्षकों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे और संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त तथा सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालयों में नियुक्त लिपिक उनके अव्यवहरित पर्यवेक्षण तथा आदेशों के अधीन कार्य करेंगे।

आसवनियों तथा बन्धित गोदामों से संलग्न लिपिक का कार्य पास तैयार करना, पासबुकों में प्रविष्टि करना, रजिस्टर रखना तथा इन नियमों द्वारा विहित तथा जिले या आबकारी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित विवरण पत्र तैयार करना है। जब विभागीय अधिकारियों के कार्यालय से संलग्न हो तो लिपिक का कर्तव्य रजिस्टरों को रखना, समस्त विवरण तैयार तथा पत्राचार करना है।

उप आबकारी निरीक्षक

उप आबकारी निरीक्षक अधीनस्थ आबकारी सेवा गठित गठित करते हैं। उनकी नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित नियमावली आबकारी मैनुअल खण्ड–VI में पायी जायेगी।

टिप्पणी—उप आबकारी निरीक्षको को ग्राह्य यात्रा भत्ते वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–III द्वारा शासित है।

आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति चीनी मिलों में उनमें उत्पादित शीरे के संचय तथा वितरण पर समुचित पर्यवेक्षण रखने तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन प्राविधानों को कार्यान्वित करने के लिए की जाती है। अब उत्तरांचल में उप आबकारी निरीक्षकों को न केवल शीरा कार्य के लिए, वरन् उन्हें विभाग की मुख्य धारा से जोड़ते हुए अपराध निरोध क्षेत्रों/चैक पोस्टों व अन्य स्थानों पर भी नियुक्त करते हुए क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक के अधीन विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है।

उप आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी के अव्यवहित पर्यवेक्षण तथा आदेश के अधीन तथा चार्ज के उप आबकारी आयुक्त के सम्पूर्ण नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रोन्नति,

स्थानांतरण तथा दण्ड के आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जाते हैं।

आकस्मिक अवकाश सम्बद्ध जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

आबकारी हैड कान्स्टेबिल/आबकारी कांस्टेबिल

आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी हैड कांस्टेबिल/आबकारी कांस्टेबिल नियुक्त किये जाते हैं–

1. निरोधक तथा पकड़–धकड़ के कार्य उद्देश्यों के लिए,
2. आसवनियों, बन्धित गोदामों तथा बन्धित निर्माणियों में,
3. आबकारी आयुक्त के कार्यालय में,
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त के कार्यालय में,
5. उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में, और
6. सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय में।

टिप्पणी:– नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित नियमावली आबकारी मैनुअल खण्ड प्ट में पाये जायेंगे।

अधिष्ठान में नियुक्ति की जायेगी–

1. अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में उप आबकारी आयुक्त द्वारा (उत्तरांचल में क्षेत्रीय मण्डलीय उपायुक्त न होने पर प्रभारी अपर आयुक्त, आयुक्तालय द्वारा),
2. आबकारी आयुक्त के मुख्यालय के कार्यालय में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा।

नियमों के अधीन समस्त अवनति, हटाया जाना तथा पदच्युत किये जाने की यथा शक्य शीघ्र आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जायेगी, जिससे उनका कार्यालय सही पद कम सूची रख सके। श्रेणी (ग्रेड) प्रोन्नति केवल आबकारी आयुक्त द्वारा की जायेगी।

आबकारी कांस्टेबिलों के कर्तव्यों तथा अधिकारों को मेनुअल में यथा स्थान दिया गया है।

प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को सहायक आबकारी आयुक्त चार्ज के उप आबकारी आयुक्त को प्रत्येक कांस्टेबिल के मामले में यह निश्चित रूप कहते हुए कि वह प्रोन्नति के योग्य है

या नहीं रिपोर्ट भेजेंगे। सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) तथा गांजा तथा चर स्क्वैड के मामले में ऐसी आबकारी आसूचना ब्यूरो के संयुक्त आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी। चार्ज के उप आबकारी आयुक्त तथा आबकारी आयुक्त आसूचना ब्यूरो के संयुक्त आबकारी आयुक्त इन रिपोर्टों को अपनी संस्तुतियों के साथ आबकारी आयुक्त को अग्रसारित करेंगे।

सहायक आबकारी आयुक्तों को आबकारी कांस्टेबिलों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है। आबकारी निरीक्षक अपने अधीन कार्यरत आबकारी कांस्टेबिलों को आपात स्थिति में तीन दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपील

अनुपालन की जाने वाली प्रकिया–अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपीलों को विनियमित करने वाली प्रकिया जिसे राज्य सरकार समय–समय पर विहित करे, आबकारी विभाग के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलों को लागू होंगी।

दण्ड के आदेशों की प्रतिलिपियों का प्रदान करना–दण्ड से अपील के मामले में, अपीलार्थी मूल आदेश या दण्ड की एक प्रतिलिपि के लिए, जब उसकी आवश्यकता प्रथम अपील के लिए हो, और उन मामलों में, जहां द्वितीय अपील दाखिल होती है, प्रथम अपील में पारित आदेश की एक प्रतिलिपि के लिए निःशुल्क हकदार होगा, जिस प्रतिलिपि को वह अपनी अपील याचिका के साथ दाखिल करेगा।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(1985 का अधिनियम संख्यांक 61) के प्रमुख प्राविधान

यह अधिनियम 14.11.1985 से प्रवृत्त हुआ तथा इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।

2. <u>अधिनियम का उद्देश्यः</u> – यह अधिनियम स्वापक औषधियों व मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित परिचालनों के नियन्त्रण व विनियम हेतु कठोर प्रावधान बनाने व स्वापक औषधियों व मनः प्रभावी पदार्थों पर अन्तर्राष्ट्रीय समागम के प्रावधानों को लागू करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

3. जैसा कि अधिनियम के खण्ड 2 (IX) में परिभाषित किया गया है ''स्वापक औषधि'' से अभिप्राय है ''कोका की पत्तियां'', कैनाबिस (हैंप), अफीम, पौपी स्ट्रॉज़ तथा इसमें सभी उत्पादित औषधियां सम्मिलित हैं। कैनाबिस (हैंप) से अभिप्राय है चरस,

गांजा तथा कोई अन्य मिश्रण जो कैनाबिस के उपरोक्त स्वरूपों के निष्प्रभावी पदार्थों के बिना या उसके साथ हो या उससे निर्मित कोई पेय। मनः प्रभावी पदार्थों की सूची अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। केन्द्र सरकार को इस सूची में घटाने–बढ़ाने की शक्ति दी गई है। (देखिये धारा–3)

4. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के साथ, अफ़ीम अधिनियम, 1857, अफ़ीम अधिनियम 1878 तथा अनिष्टकर मादक द्रव्य–अधिनियम 1930 निरसित होते हैं।

5. संविधान की अनुसूची टप्प की समवर्ती सूची (सूची प्प्) की प्रविष्टि 19 निम्न रूप से पठित है:

''अफ़ीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के प्रावधानों की अध्यधीन औषधियां व विष''

प्रविष्टि 19 द्वारा आवृत्त मदों पर राज्य व संघीय विधान मंडल दोनों ही कानून बनाने के लिये अधिकृत हैं। उ0प्र0 विधान मंडल द्वारा अधिनियमित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 तथा संसद द्वारा अधिनियमित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 दोनों में ही गांजा व चरस से संबंधित प्रावधान हैं।

एस0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के प्रावधान, उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की अपेक्षा अधिक कठोर हैं। इसलिए, धारा 8 के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधान गांजा व चरस पर लागू होते हैं तथा उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 के अधिनियम गांजा व चरस से संबंधित लेन–देन के विनियमन व नियन्त्रण पर लागू नहीं होते हैं।

6. धारा–6 उपबंधित करती है कि स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने व इसमें प्रतिरोध हेतु केन्द्र सरकार ऐसे उपाय करेगी जैसे कि उसमें उल्लिखित हैं।

7. धारा–5 केन्द्रीय सरकार के अधिनियम के उद्देश्यों हेतु एक स्वापक आयुक्त व अन्य अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। स्वापक आयुक्त, अफ़ीम पौपी की खेती व अफ़ीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा। वह अन्य ऐसे कार्यों का भी निष्पादन करेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

8. धारा–6 के अधीन केन्द्र सरकार, अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभाव पदार्थ सलाहकार समिति कहलायेगी।

9. जैसा कि धारा–7 के अधीन उपबंधित किया गया है, राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु अधिकारी नियुक्त कर सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा धारा–7। में औषध 'दुरूपयोग के नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय निधि' नाम से एक निधि के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।

10. अधिनियम की धारा–8 किसी कोका पौधे या उस पौधे के किसी भाग को चुनने, अफ़ीम, पौपी या कैनाबिस पौधे की खेती, चिकित्सीय या वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा किसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभाव पदार्थों का, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, सेवन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात, भारत से निर्यात या स्थानांतरण के निषेध का प्रावधान करती है। गांजे के उत्पादन हेतु कैनाबिस पौधे की खेती, यद्यपि, 15 मई 1989 से निषिद्ध कर दी गई है, चिकित्सीय व वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिये गांजे का उत्पादन, कब्जा, उपयोग, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात 13 दिसम्बर 1989 से निषिद्ध किया गया है।

11. धारा–13 के अधीन केन्द्र सरकार सुवास कारकों की निर्मिति के उपयोग हेतु कोका पौधे की खेती या उसके किसी भाग को चुनने या उसके उत्पादन, कब्जे, विक्रय इत्यादि की अनुमति दे सकती है। धारा–14 उपबंधित करती है कि सरकार केवल रेशे या बीज प्राप्त करने या बागबानी के उद्देश्य से किसी कैनाबिस पौधे की खेती की अनुमति प्रदान कर सकती है।

12. अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन निम्नलिखित दण्ड उपबंधित किये गये हैं: –

धारा	अपराध	मात्रा	दण्ड	
			न्यूनतम दण्ड	अधिकतम दण्ड
1.	2.	3.	4.	5.
15	पौपी स्ट्रॉ का अवैध उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात,	(ए) लघु मात्रा में।		छः महीने का कठोर कारावास या दस हजार रूपया

			दण्ड	
धारा	अपराध	मात्रा	न्यूनतम दण्ड	अधिकतम दण्ड
1.	2.	3.	4.	5.
	विक्रय, क्रय तथा गोदाम में रखना।			जुर्माना या दोनों।
17	निर्मित अफ़ीम का अवैध विनिर्माण, कब्जा, विक्रय क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।	(बी) व्यावसायिक मात्रा से कम किन्तु लघु मात्रा से अधिक		दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक जुर्माना।
21	किसी विनिर्मित औषधि या विनिर्मित औषधि समाविष्ट किसी निर्मिति का अवैध विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।	(सी) व्यावसायिक मात्रा में	दस वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये का जुर्माना।	बीस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा दो लाख रूपये का जुर्माना साथ ही न्यायालय कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।
22	किसी मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।	जैसा कि धारा 15, 16 व 21 में है ।		
23	स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों का भारत में अवैध आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण			
16	कोका पौधे की अवैध खेती या कोका पौधे के किसी भाग का चुनना या कोका पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।			दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।
18	अफ़ीम पौपी की अवैध खेती या अफ़ीम का उत्पादन, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।	(ए) लघु मात्रा में		छः महीने तक का कठोर कारावास या दस हज़ार रूपये तक का जुर्माना या दोनों।
		(बी) व्यावसायिक मात्रा में	दस वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये का	बीस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा दो लाख रूपये का जुर्माना साथ ही न्यायालय

धारा	अपराध	मात्रा	दण्ड	
			न्यूनतम दण्ड	अधिकतम दण्ड
1.	2.	3.	4.	5.
			जुर्माना	कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।
		(सी) किसी मामले में अन्य मामला		दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।
19	उत्पादित अफ़ीम या उसके किसी भाग का गबन या अन्यथा अवैध व्ययन।		दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।	बीस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा दो लाख रूपये का जुर्माना साथ ही न्यायालय कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।
20	(ए) किसी कैनाबिस पौधे की अवैध खेती		दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।	
	(बी) कैनाबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तर्राज्यीय आयात, अन्तर्राज्यीय निर्यात या उपयोग।	(ए) लघु मात्रा में	छः महीने तक का कठोर कारावास या दस हज़ार रूपये तक का जुर्माना या दोनों।	
		(बी) व्यावसायिक मात्रा से कम किन्तु लघु मात्रा से अधिक।	दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।	

धारा	अपराध	मात्रा	दण्ड	
			न्यूनतम दण्ड	अधिकतम दण्ड
1.	2.	3.	4.	5.
		(सी) व्यावसायिक मात्रा में	दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना।	बीस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा दो लाख रूपये का जुर्माना साथ ही न्यायालय कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।

टिप्पणीः – स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में – ''व्यावसायिक मात्रा'' से अभिप्राय है, सरकारी गजट (धारा–2 गगगपपप ण) में अधिसूचना द्वारा स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में सरकारी गजट (धारा–2 अपप) – 'लघु मात्रा' में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा की अपेक्षा अधिक मात्रा।

1	2	3	4	5
24	अवैध संलिप्तता या व्यापार नियन्त्रण जिसके द्वारा भारत से बाहर एक स्वापक औषधि प्राप्त की जाये तथा बिना केन्द्र सरकार के पूर्व प्राधिकार के या प्राधिकार की शर्तों के उल्लंघन द्वारा भारत से बाहर किसी व्यक्ति को आपूर्ति की जाये।			
25	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपराध हेतु परिक्षेत्र, पशु या वाहन के उपयोग की अनुमति देना	उस अपराध हेतु उपबंधित दण्ड		
25	धारा–9। के अधीन दिये आदेश का उल्लंघन।			दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना, साथ ही न्यायालय कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।

1	2	3	4	5
26	(ए) लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का लोप (बी) लाईसेन्स, परमिट या पास प्रस्तुत करने में निष्फलता (सी) मिथ्या लेखे रखने या मिथ्या विवरण बनाने तथा (डी) अनुज्ञापी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों को जानबूझ तोड़ने का कार्य करना।			तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
27	(ए) कोकीन, मौरफ़ीन या डायसेटिल मौरफ़ीन या केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन			एक वर्ष तक का कारावास व बीस हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों।
	(बी) खण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट के अलावा किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन			छः माह तक का कारावास या दस हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों।
27 I	अवैध व्यापार का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वित्त पोषण तथा अपराधियों को शरण देना।		दस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये जुर्माना	बीस वर्ष तक का कठोर कारावास तथा दो लाख रूपये का जुर्माना साथ ही न्यायालय कारण अभिलिखित कर दो लाख रूपये से अधिक जुर्माना कर सकता है।
28	अपराध करने का प्रयास करना।	उस अपराध हेतु उपबंधित दण्ड से दण्डनीय।		
29	दुष्प्रेरण तथा अपराधिक षडयन्त्र।	उस अपराध हेतु उपबंधित दण्ड से दण्डनीय।		

1	2	3	4	5
30	धारा 19, 24 व 27ए के अधीन दण्डनीय किसी अपराध स्थापित करने वाला कोई कार्य करने या किसी कार्य का लोप करने की तैयारी तथा किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा की संलिप्तता का अपराध करने के लिये, जबकि परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह अपराध करने के अपने इरादे के प्रति प्रतिबद्ध था।	न्यूनतम अवधि के आधे या उस से अधिक के कठोर कारावास से दण्डनीय जो कि अधिकतम अवधि के आधे तक विस्तारित हो सकती है तथा न्यूनतम राशि के आधे या अधिक की राशि का जुर्माना किन्तु जो अधिकतम राशि के आधे या अधिक की राशि तक बढ़ाया जा सकता है।		
31	पहली दोष सिद्धि के पशचात् दूसरी व उसके आगे प्रत्येक अपराध हेतु बढ़ा हुआ दण्ड।	(1) उस अवधि हेतु कठोर कारावास से दण्डनीय जो कि कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक विस्तारित हो सकता है तथा जुर्माना जो कि जुर्माने की अधिकतम राशि के आधे तक बढ़ाया जा सकता है। (2) जब कारावास की दण्डनीय अवधि तथा जुर्माने की न्यूनतम राशि हेतु जिम्मेदार हो तो न्यूनतम दण्ड, न्यूनतम कारावास का आधा तथा जुर्माने की राशि का आधा जुर्माना होगा।		

टिप्पणीः – यह धारा यह भी उपबंधित करती है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस धारा के उद्देश्य से ऐसा व्यवहार जायेगा जैसे कि वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया हो।

1	2	3	4	5
31	यदि कोई व्यक्ति धारा 19, धारा 24 व धारा 27। के अधीन दण्डनीय किसी अपराध करने के लिये अपराधिक षड़यन्त्र के दुष्प्रयोग या प्रयास या कृत्य हेतु तथा स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा में संलिप्तता के अपराध हेतु सिद्धदोष है तत्पश्चात् निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध के करने के लिये अपराधिक षड़यन्त्र के या दुष्प्रयोग के प्रयास हेतु सिद्धदोष हैः – (ए) धारा–31। में सारणी में विनिर्दिष्ट मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा की स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन व यानांतरण।			
32	अपराध, जिसमें कोई दण्ड उपबंधित न किया गया हो।	छः माह का कारावास या दण्ड या दोनों ।		

13. धारा–32ए उपबंधित करती है कि धारा–27 के अधीन के अलावा इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्मित कोई दण्डादेश निलंबित, विप्रेषित या परिवर्तित नहीं होगा।

धारा–32बी उन कारकों का उल्लेख करती है जिनका न्यूनतम दण्ड की अपेक्षा उच्च दण्ड देने हेतु विचार किया जाना चाहिये।

14. धारा–34 के प्रवधानों के अनुसार किसी सिद्ध दोष व्यक्ति से न्यायालय किसी अपराध के कृत्य से दूर रहने के लिये बौंड लिख कर देने के लिये कह सकता है।

15. धारा–33 उपबंधित करती है कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता की धारा–360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, दोष सिद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु के हैं या धारा–26 या धारा–27 के अधीन सिद्धदोष हैं।

16. अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण हेतु धारा–36 में विशेष न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। इस धारा में यह उल्लेख है कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कारावास के दण्डितों पर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण करना चाहिये। विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय की सहमति से सरकार द्वारा नियुक्त एकल न्यायाधीश का समावेश होना चाहिये।

17. धारा–37 उपबंधित करती है कि अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय हैं। यह धारा यह भी उपबंधित करती है कि धारा–19, धारा–24 या धारा–27ए के अधीन दण्डनीय अपराधों में अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने बौंड पर रिहा नहीं किये जायेंगे जब तक कि:–

(1) ऐसी रिहाई हेतु आवेदन का विरोध करने के लिये शासकीय अधिवक्ता को अवसर न दिया गया हो।

(2) न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि यह विश्वास करने के लिये उचित आधार है कि व्यक्ति ऐसे अपराध या दोषी नहीं हैं तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

18. धारा–38 कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों हेतु उपबंध करती है। धारा–39 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें न्यायालय अपराधों को परिवीक्षा पर रिहा कर सकता है।

धारा–40, किसी अपराध में दोषसिद्ध व्यक्तियों का नाम, व्यवसाय का स्थान इत्यादि प्रकाशित करने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाती है।

19- अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रदान की गई विविध अधिकारियों की शक्तियों व प्राधिकार का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः –

धारा	शक्ति एवं प्राधिकार	प्राधिकृत अधिकारी
41	(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी करने या किसी भवन, वाहन या स्थान	(1) महानगर मजिस्ट्रेट या पहली श्रेणी का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप

धारा	शक्ति एवं प्राधिकार	प्राधिकृत अधिकारी
	की तलाशी लेने की शक्ति।	से सशक्त द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट।
	(2) दिन में या रात में किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति।	(2)(प) केन्द्रीय आबकारी, स्वापक कस्टम, राजस्व, इन्टैलिजैन्स या केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग को राजपत्रित पद के अधिकारी जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा सशक्त अर्ध–सैनिक बल या सैन्य बल भी सम्मिलित हैं। (2)(पप) राज्य सरकार द्वारा सशक्त चपरासी से ऊपर के पद के राजस्व, औषध नियन्त्रण, आबकारी या अन्य विभागों के अधिकारी।
42	कारण अभिलिखित करने के पश्चात् बिना वारंट या प्राधिकार के सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य किसी भवन, वाहन या बंद स्थान में प्रवेश कर अधिग्रहण करने योग्य वस्तुओं का अभिग्रहण करने की शक्ति। जब यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि अपराधी को अपराध का साक्ष्य छुपाने या उसको बच निकलने का अवसर दिये बिना वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है।	(1) केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय आबकारी, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी जो एक चपरासी या कान्सटेबल से उच्च पद का हो। (2) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजस्व, औषधि नियन्त्रण व आबकारी विभाग के अधिकारी।
43	अधिग्रहण करने योग्य वस्तुओं तथा पशुओं, वाहन के साथ–साथ स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों का अभिग्रहण तथा सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति का विरोध, तलाशी या गिरफ्तारी की शक्ति।	धारा–42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी।
44	कोका पौधे, अफ़ीम पौपी तथा कैनाबिस पौधे से संबंधित अपराधों में प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण व गिरफ्तारी की शक्ति।	धारा–41, 42, 43 के प्रावधान जहां तक संभव हो लागू होंगे।
49	वाहन या पशु को रोकने या वायुयान के संबंध में उसे उतरने को बाध्य करने तथा पशुओं व वाहनों के सामान व वाहन की तलाशी लेने की शक्ति।	धारा–42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी।
53	अधिनियम के अधीन अपराधों की जाँच–पड़ताल हेतु एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति।	(1) केन्द्रीय आबकारी स्वापक, सीमा रक्षा, राजस्व आसूचना के अधिकारी या सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी श्रेणी के ऐसे अधिकारी। (2) औषधि नियन्त्रण, राजस्व या आबकारी विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी श्रेणी के ऐसे अधिकारी।

20. तलाशी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानः –

(ए) धारा–50 के प्रावधानों का अनुपालन आज्ञापक है। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैंः –

(1) धारा–42 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा धारा–41, धारा–42 या धारा–43 के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लिये जाने के पहले, तलाशी का संचालन करने वाला अधिकारी उससे यह पूछेगा कि क्या वह धारा–42 में उल्लिखित विभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी या समीपस्थ मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी देना चाहेगा तथा यदि वह ऐसा चाहे तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा।

(2) यदि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट तलाशी के लिये कोई युक्ति युक्त कारण नही पाता तो वह उस व्यक्ति को छोड़ देगा अन्यथा तलाशी का निर्देश देगा ।

(3) किसी महिला की तलाशी एक महिला के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं ली जायेगी।

(बी) धारा–51 उपबंधित करती है कि दांडिक प्रक्रिया सहिता, 1973 के प्रावधान, जब कि वे अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, अधिनियम के अधीन जारी किये गये सभी वारंट्स, गिरफ्तारियों, तलाशियों व अभिग्रहणों पर लागू होंगे । जैसा कि दांडिक प्रक्रिया सहिता की धारा–100 में निर्धारित है, तलाशी लेने से पहले कोई अधिकारी या ऐसा करने को तैयार व्यक्ति उस इलाके में जिसमें तलाशी लिये जाने वाला स्थान स्थित है, या किसी अन्य इलाके के दो स्वतन्त्र व संभ्रांत निवासियों को बुलायेगा । यदि इलाके का कोई ऐसा निवासी उपलब्ध नही है या तलाशी का साक्षी बनने या तलाशी में उपस्थित रहने को तैयार नही है तो वह तलाशी में उपस्थित रहने व साक्ष्य हेतु उन्हें या उन में से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकता है ।

तलाशी लिये जाने वाले स्थान के अधिभोगी को तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति होगी तथा ऐसे व्यक्ति या अधिभोगी को तैयार की गयी सूची की एक प्रति जो कथित साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, दी जायेगी, जब ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जाये तो वह सभी वस्तुऐं जो कब्जे में ली गई हैं उनकी सूची तैयार की जायेगी तथा उसकी एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जायेगी।

(सी) धारा–42 उपबंधित करती है कि इस धारा में उल्लिखित विभाग के किसी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को जब यह उचित रूप से विश्वास हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी स्थान पर किया गया है, किया जा रहा है या होने की सम्भावना है तथा अपराधी को अपराध का साक्ष्य छुपाने का या निकल भागने का अवसर दिये बिना तलाशी का वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता तो वह सूर्योदय या सूर्यास्त के मध्य ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है। बशर्ते कि वह अधिकारी प्रवेश करने से पहले अपने इस विश्वास का

आधार अभिलिखित करेगा। जहाँ कोई अधिकारी अपने विश्वास का आधार अभिलिखित करता है तो वह इस की एक प्रति तुरन्त अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।

(डी) अधिनियम की धारा–52 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है: –

(प) धारा–42, की उपधारा–(2), धारा–43 तथा धारा–44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बतलायेगा।

(पप) धारा–41 की उपधारा–(1) के अधीन जारी वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के उस मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुंत किया जायेगा जिसने वह वारंट जारी किया है।

(पपप) धारा–41 (2), धारा–42, धारा–43 या धारा–44 के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति तथा जब्त सामान समीपस्थ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा–42 के अधीन विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजा जायेगा।

21. धारा–55 उपबंधित करती है कि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश लम्बित रहने तक उस पुलिस स्टेशन के स्थानीय क्षेत्र के भीतर, इस अधिनियम के अधीन जब्त सभी वस्तुओं को अपने पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

22. अवैध व्यापार में उपयोग किये गये या उससे प्राप्त सम्पत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधान अधिनियम के अध्याय–ट ए में समाविष्ट हैं। वे केवल धारा–68ए की उपधारा–(2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होंगे।

23. धारा–71 के अधीन व्यसनियों के चिन्हीकरण, चिकित्सा, शिक्षा, देखभाल, पुर्नवास सामाजिक पुनःएकीकरण हेतु तथा व्यसनियों को किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों की सम्बन्धित सरकार द्वारा आपूर्ति हेतु वह जितने केन्द्र उचित समझे स्थापित कर सकती है।

24. धारा–76 के अधीन, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सरकार नियम बना सकती है। जैसा कि धारा–77 में उपबंधित है – इन नियमों को संसद के सम्मुख रखना होगा। राज्य सरकार को भी धारा–78 के अधीन नियम बनाने की शक्ति दी गई है जिनको उस राज्य के विधान मंडल के सम्मुख रखना होगा।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन्स, एवं मैनुअल्स की सूची

S. N.	Name of Act, Rule, Regulation, Manual etc.	year	Authority under which enacted or framed
1	U.P. Excise Act, 1910	1910	State Govenment
2	U.P. Opium smiking Act, 1934	1934	-do-
3	U.P Sales of Motor spirit, Diesel Oil and alcohol Taxation Act, 1939	1939	-do-
4	Medicinal Toilet Preparation (Excise Duties) Act, 1955	1955	Government of India
5	The spirituous preparations (Inter State trade and Commerce) Control Act, 1955	1955	-do-
6	U.P. Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964	1964	State Government
7	Narcotic Drugs and Psychotopic Substances Act, 1985	1985	Government of India
8	Illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988	1988	-do-
	Rules, Regulation and manuals		
9	U.P. Opium smoking Rules, 1935	1935	State Government
10	Medicinal and Toilet Preparation (Excise Duties) Rules, 1956	1956	-do-
11	U.P. Spirituous Preparations (Inter State Trade and Commerce) Control Rules, 1957	1957	State Government
12	U.P. Sheera Niyantran Niyamavali, 1974	1974	State Government
13	U.P. Sales or Purchase or Motor Spirit Diesel Oil and Alcohol Taxation Rules, 1977	1977	-do-
14	Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985	1985	Government of India
15	U.P. Narcotic Drugs Rules, 1986	1986	State Government
16	U.P. Excise Manual volume-I containing the U.P. Excise Act, 1910, and the Uttar Pradesh intoxicating liquor (objectionable Advertisements) Act, 1976 and rules, notifications and executive instructions issued under the U.P. Excise Act, 1910	2000	-do-
17	U.P. Excise Manual volume-II containing prescribed form under U.P. Excise Act, 1910	1997	-do-
18	U.P. Excise Manaul Volume-III containing the Narcotic Drugs and psychotropic aubstances Act, 1985, Drugs and Psychotropic Substances Act 1988, U.P. smoking Act, 1934, the U.P. Sales or Motor spirit Diesel Oil, and Alcohol Taxation Act, 1939, the U.P. Sales of motor spirit Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, the U.P. Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 and the rules notifications and executive orders issued under the above Acts.	Under Print	State Government
19	U.P. Excise Manual Volume-IV containing the medicinal and toilet preparations (excise duties) Act, 1955 and the spirituous preparations (Inter State trade and commerce) control Act, 1955 and the rules, notifications and executive orders issued under the above Acts.	1995	-do-
20	Technical Excise Manual	1962	-do-
21	U.P. Excise Manual volume-VI, containing service rules relating to the recruitment appointment etc. of excise staff.	1994	-do-